रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

F. 6-1(11)/2006 (CPP.I)

सं. 146] नई दिल्ली, बुधवार, मई 26, 2010/ज्येष्ठ 5, 1932

No. 146] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 26, 2010/JYAISTHA 5, 1932

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2010

[विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समविश्वविद्यालय बनने वाली संस्थाएं) विनियम, 2010]

प्रस्तावना

संस्थाओं को समविश्वविद्यालय घोषित करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित तरीके से विनियमित करने, खराब गुणवत्ता वाली संस्थाओं को इस घोषणा से अलग रखने; और उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए समविश्वविद्यालय संस्थाओं द्वारा विश्वविद्यालय के लक्ष्यों के साथ सहयोग; के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 26 की उप-धारा (1) के खंड (च) और (छ) के अंतर्गत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नलिखित विनियम बनाए हैं :

1.0 लघुशीर्षक, अनुपालन और आरम्भ

1.1 इन विनियमों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समविश्वविद्यालय संस्था) विनियम, 2010 कहा जाएगा ।

1.2 ये विनियम ऐसी प्रत्येक संस्था पर लागू होंगे जो समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित किए जाने के लिए आवेदन करेगी । यद्यपि ये भावी रूप में उन संस्थाओं पर भी लागू होंगे जिन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत समविश्वविद्यालय घोषित किया जा चुका है ।

1.3 राजकीय राजपत्र में इनकी अधिसूचना की तिथि से ये लागू होंगे ।

2.0 परिभाषाएं

इन विनियमों में जब तक संदर्भ के लिए अन्यथा आवश्यक न हो :

2.01 ''अधिनियम'' का अर्थ है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम 3) ।

2.02 ''परिसर'' का अर्थ है भारत के शहर/गांव में स्थित सम विश्वविद्यालय संस्था के मुख्यालय का वह परिसर जहां इसकी प्रमुख सुविधाएं, संकाय, स्टाफ, छात्र और इसके अकादमिक विभाग हैं। जबकि 'ऑफ कैंपस केन्द्र' का अर्थ है देश में इसके परिसर से बाहर समविश्वविद्यालय संस्था का अनुमोदन केन्द्र (केन्द्र सरकार द्वारा), विदेशी कैंपस का अर्थ है इसके परिसर से बाहर और भारत से बाहर समविश्वविद्यालय संस्था का अनुमोदित (केन्द्र सरकार द्वारा) केन्द्र।

2.03 ''आयोग'' का अर्थ है अधिनियम के अंतर्गत अथवा समविश्वविद्यालय संस्था को विनियमित करने के लिए अधिकृत किसी अन्य निकाय द्वारा उस समय लागू किसी कानून के अंतर्गत गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।

2.04 ''विशेषज्ञ समिति'' का अर्थ है, ज्ञान के संगत क्षेत्रों में अकादमिकों, अनुसंधानकर्ताओं अथवा अन्य विशेषज्ञों वाले आयोग द्वारा नियुक्त और इन विनियमों के लिए ऐसे किसी उद्देश्यार्थ अधिसूचित समिति; और ऐसी कई विशेषज्ञ समितियां हो सकती हैं जिन्हें आयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए निश्चित कर सकता है।

2.05 ''घटक संस्था'' का अर्थ है प्रायोजित निकाय के प्रशासनिक, अकादमिक और वित्तीय नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करने वाली संस्था और अधिसूचना के अंतर्गत घोषित संस्था।

2.06 *''नई संस्था''* का अर्थ है संबद्ध विषयों में अकादमिक समुदाय की विशिष्ट लोगों द्वारा निर्दिष्ट विशेष और 'ज्ञान के उभरते क्षेत्रों' में शिक्षण और अनुसंधान में सदाचारों को समर्पित संस्था।

2.07 ''ज्ञान के उभरते क्षेत्र'' का अर्थ है आयोग द्वारा उद्देश्यार्थ गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिश पर आयोग द्वारा समय-समय पर अधिसूचित ज्ञान के क्षेत्र; और ऐसी समिति संगत विषयों में अध्ययन और अनुसंधान विकास के साथ-साथ भारत में इनके अध्ययन और अनुसंधान के मानकों को बढ़ाने की आवश्यकता के अनुसार अपनी सिफारिश करेगी।

2.08 ''सरकार'' का अर्थ है केन्द्र सरकार, जब तक कि यह संदर्भ विशिष्ट न हो।

2.09 ''संस्था'' का अर्थ है अवर स्नातक, स्नातकोत्तर अथवा उच्च स्तरों पर उच्च अकादमिक मानकों के शिक्षण और अनुसंधान में लगी हुई उच्च शिक्षण संस्था।

2.10 ''समविश्वविद्यालय संस्था'' का अर्थ है केन्द्र सरकार द्वारा आयोग की सिफारिश पर अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत घोषित उच्च शिक्षा संस्था।

2.11 ''प्रोसेसिंग शुल्क'' का अर्थ है आवेदक संस्था द्वारा ऐसे आवेदन की प्रोसेसिंग के लिए आवेदन सहित आयोग को दिये जाने वाले प्रभार। इस राशि में आयोग द्वारा आवेदन की प्रोसेसिंग पर किए गए व्यय को ध्यान में रखा जाएगा जिसमें आयोग की विशेषज्ञ समितियों द्वारा ऑनसाईट दौरे शामिल होंगे। आयोग प्रोसेसिंग शुल्क विनिर्दिष्ट करेगा और समय-समय पर इसे संशोधित करेगा।

2.12 ''अधिसूचना'' का अर्थ है अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत किसी उच्च शिक्षण संस्था को समविश्वविद्यालय संस्था घोषित करने के लिए राजकीय राजपत्र में केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना।

2.13 ''प्रायोजक निकाय'' का अर्थ है ऐसी दानी अथवा अलाभकारी सोसायटी अथवा ट्रस्ट जो अपने प्रशासनिक, अकादमिक और वित्तीय नियंत्रण में आने वाली संस्था को समविश्वविद्यालय घोषित करने के लिए आवेदन करे।

2.14 ''सांविधिक निकाय'' का अर्थ है उच्च शिक्षा के संगत क्षेत्रों में गुणवत्ता के मानकों को सुनिश्चित करने अथवा बनाए रखने लिए कुछ समय के लिए किसी कानून के अंतर्गत गठित निकाय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इंडियन नर्सिंग काउंसिल आदि इन विनियमों के उददेश्यार्थ सांविधिक निकाय होंगे।

3.0 समविश्वविद्यालय संस्था के उद्देश्य

सरकार द्वारा किसी संस्था को समविश्वविद्यालय संस्था घोषित करने के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे:-

3.1 उच्च शिक्षा प्रदान करना ताकि विश्वविद्यालय शिक्षा रिपोर्ट (1948) और भारत में उच्चतर शिक्षा के नवीकरण एवं पुनरुद्धार (2009) और समविश्वविद्यालयों

के लिए समीक्षा समिति की रिपोर्ट (2009) के द्वारा विश्वविद्यालय के संदर्भ से पूर्णतया सहमत स्नातकोत्तर और अनुसंधान डिग्री स्तरों पर उचित मानी जाने वाली ज्ञान की ऐसी शाखाओं में उत्कृष्टता और सदाचार का प्रावधान करना।

3.2 परंपरागत संस्थाओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले कला, विज्ञान, इंजीनियरी, चिकित्सा, डेंटल, फार्मेसी, प्रबंध आदि विषयों में परंपरागत डिग्रियों तक पहुंचने के लिए सामान्य स्वरूप के कार्यक्रमों से अकादमिक विनियोजन को अलग करने वाले-विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली के लक्ष्यों में महत्वपूर्ण भागीदारी करने के लिए योग्यता वाले विशिष्ट क्षेत्रों में लगना।

3.3 विभिन्न विषयों में पर्याप्त संख्या में पूर्णकालिक संकाय/अनुसंधान शिक्षाविदों (पीएच.डी. और पोस्ट डॉक्टोरल) द्वारा विभिन्न इन-हाउस अनुसंधान कार्यक्रमों के माध्यम से उच्च गुणत्तापरक शिक्षण और अनुसंधान हेतु तथा ज्ञान की प्रगति और उसके वितरण हेतु प्रावधान करना।

3.4 अकादमिक समुदाय के विशिष्ट व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श की प्रकिया से विनिर्दिष्ट हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए अथवा देश की प्रमुख आवश्कताओं के लिए महत्वपूर्ण समझे जाने पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा अध्ययन और अनुसंधान के विशिष्ट क्षेत्रों में प्रायोजित-''नए'' वर्ग के अंतर्गत ऐसे विशेष और उभरते क्षेत्रों में जिन्हें परंपरागत अथवा वर्तमान संस्थाओं द्वारा कार्य में नहीं लाया जा रहा है, के अंतर्गत समविश्वविद्यालय संस्थाओं के सृजन में सहायता करना।

4.0 समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित की जाने वाली संस्था के लिए पात्रता मानदंड

समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित किए जाने के लिए आवेदन करने वाली संस्था को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:-

(क) पात्रता मानदंड

4.1 कम से कम पंद्रह वर्ष से विद्यमान हो (नए वर्ग के अंतर्गत समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषणा चाहने वाली संस्थाओं के अलावा)।

4.2 अध्यापन के अपने कार्यक्रमों में विविधता द्वारा, शिक्षण में नवाचारों के अंशदान द्वारा और अनुसंधान परिणाम सत्यापित उच्च गुणवत्ता के माध्यम से विश्वविद्यालय की विशेषताओं को प्राप्त कर लिया हो।

4.3 कुछ समय के लिए लागू किसी कानून के अंतर्गत मान्यताप्राप्त बाह्य प्रत्यायन/मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा आवधिक समीक्षा और मूल्यांकन किए जाने का रिकार्ड हो। जिस संस्था का प्रत्यायन न हुआ हो अथवा जहां ऐसा संभव न हो तो इन विनियमों के अनुच्छेद 3.4 में उल्लिखित संस्था 'नए' वर्ग के अंतर्गत समविश्वविद्यालय की घोषणा के लिए इसकी उपयुक्तता के आवश्यक मूल्यांकन की शर्त होगी।

4.4 ठोस अंतःअनुशासनात्मक पुनश्चर्या और संयोजन के साथ विभिन्न विषयों में अवर स्नातक, स्नातकोत्तर और अनुसंधान कार्यक्रमों के अंतर्गत पूर्णतः स्थापित, प्रसारित और व्यवहार्य होना चाहिए।

4.5 ऐसी संस्था नहीं होना चाहिए जहां केवल परंपरागत डिग्रियों की शिक्षा ही दी जाती हो। उदाहरण के तौर पर यह केवल इंजीनियरी अथवा प्रबंध अथवा चिकित्सा अथवा फार्मेसी अथव डेंटल विज्ञान आदि कार्यक्रमों तक ही सीमित न हो, इन कार्यक्रमों को कालेज की वर्तमान स्थिति के साथ प्रदान किया जाना जारी रखा जा सकता है।

4.6 संस्था ऐसी नहीं होनी चाहिए जो मुख्य रूप से सेवाकालीन कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करे अथवा केवल कौशल आधारित अथवा उत्पादन से संबंधित डिग्री अथवा डिप्लोमा कार्यक्रम ही चलाए।

4.7 गुणवत्तापरक अनुसंधान कार्यों, उच्च मानकों वाले प्रकाशनों और शैक्षिक कार्यों में लगा होना चाहिए जिसका परिणाम अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त डाटाबेस में समावेशन हो; और डाक्टोरल/पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान कार्यक्रम सक्षम होने चाहिए और पूर्णकालिक डाक्टोरल स्तरीय डिग्रियों के महत्वपूर्ण परिणाम होने चाहिए।

4.8 शिक्षण और अनुसंधान के लिए पर्याप्त संख्या में पूर्णकालिक पूर्णतः अर्हता प्राप्त संकाय होना चाहिए जिसमें कम से कम कुछ अपने विषयों में ख्याती प्राप्त हों।

4.9 गुणवत्तापरक अनुसंधान के लिए आवश्यक अवसंरचना और अद्यतिक सूचना संसाधनों के लिए वृहद पहुंच होनी चाहिए।

4.10 विभिन्न सार्वजनिक/निजी एजेंसियों से मेरिट आधारित बाहरी अनुसंधान वित्तपोषण प्राप्त करने का प्रमाणिक रिकार्ड होना चाहिए।

4.11 पेटेंट, कापीराईट के रूप में बौद्धिक संपदा का सृजन और वांछनीय विशेषता के रूप में प्रौद्योगिकी का अंतरण किया है।

4.12 विस्तृत सेवाओं और सामाजिक विनियोजनों का प्रमाणिक रिकार्ड होना चाहिए।

4.13 ऐसी संस्थाओं के पास, वर्तमान में मान्य, प्रदत्त शीर्षस्थ ग्रेड का मान्य प्रत्यायन होना चाहिए जो या तो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन बोर्ड से होना चाहिए अथवा इसके सभी पात्र पाठ्यक्रम राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से अथवा समय-समय पर आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्यायन एजेंसी से प्रत्यायित होने चाहिए।

4.14 यह वचन दे कि वह दूरस्थ मोड में कोई कार्यक्रम प्रदान नहीं करेगा।

(ख) शर्तें

4.15 एक बार 'समविश्वविद्यालय' की घोषणा कर दिए जाने पर कोई अन्य वर्तमान संस्था इसके साथ घटकीय संस्था के रूप में तब तक संलग्न नहीं हो सकती है जब तक कि संलग्न होने वाली संस्था इन विनियमों के सभी मानदंडों को स्वतंत्र रूप से पूरा कर रही हो।

4.16 समय समय पर आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट मानदंडों के आधार पर प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार प्रत्येक समविश्वविद्यालय के लिए गहन बाह्य समीक्षा अनिवार्य होगी।

4.17 आबेदक संस्थाएं अलाभकारी संगठन होने चाहिए और उच्च शिक्षा के बाणिज्यीकरण में शामिल नहीं होने चाहिए।

4.18 समविश्वविद्यालय संस्था का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से पहले पांच वर्ष की अवधि में आवेदक संस्था का किसी सांविधिक प्राधिकरण की दिशानिर्देशों किन्हीं भी सांविधियों के प्रावधानों का उल्लघंन न करने का ट्रैक रिकार्ड होना चाहिए।

5.0 समविश्वविद्यालय घोषित की जाने वाली संस्थाओं के लिए शासी प्रणाली

समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित किए जाने वाली संस्था को निम्नलिखित मानदंडों को मानना होगा:-

5.1 प्रस्तावित समविश्वविद्यालय संस्था को या तो सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत अलाभकारी सोसायटी के रूप में अथवा सोसायटी/ट्रस्ट के साथ पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम के अंतर्गत अलाभकारी ट्रस्ट के रूप में पंजीकरण होना चाहिए जो निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार हो।

5.2 समविश्वविद्यालय के प्राधिकारियों में एक कुलाधिपति होना चाहिए जिसकी भूमिका मुख्यतः औपचारिक होगी। कुलाधिपति की नियुक्ति प्रायोजक सोसायटी अथवा प्रायोजक ट्रस्ट द्वारा की जाएगी। वह प्रायोजक सोसायटी के अध्यक्ष अथवा उसके नजदीकी रिश्तेदारों के अलावा प्रख्यात शिक्षाविद अथवा प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए।

5.3 समकुलपति की कोई स्थिति नहीं होगी।

5.4 समविश्वविद्यालय का उच्चतम शासी निकाय प्रबंध बोर्ड होना चाहिए जिसकी अध्यक्षता कुलपति अथवा किसी प्रख्यात शिक्षाविद द्वारा की जानी चाहिए। इस निकाय में कम से कम दस और अधिकतम बारह सदस्य होंगे।

5.5 संस्था का प्रबंध बोर्ड ट्रस्ट (अथवा) सोसायटी से अपने अकादमिक और प्रशासनिक उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होना चाहिए। प्रबंध बोर्ड में ट्रस्ट (अथवा) सोसायटी के प्रतिनिधियों/नामितियों की संख्या अधिकतम दो तक सीमित होगी।

5.6 प्रबंधन बोर्ड में ऐसे विख्यात व्यक्ति होंगे जो विश्वविद्यालय के आदर्शों और परंपराओं में भागीदारी करने और उसे बनाए रखने में सक्षम हों।

5.7 प्रबंध बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए:-

(i) कुलपति...........अध्यक्ष

(ii) समकुलपति (जहां भी लागू हो)

(iii) संकायाध्यक्ष, दो से अधिक न हों (वरिष्ठता आधारित चक्रानुक्रम)

(iv) कुलाधिपति द्वारा नामित तीन प्रतिष्ठित शिक्षाविद

(v) यूजीसी के साथ परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा नामित किया जाना वाला एक प्रख्यात शिक्षाविद

(vi) वरिष्ठता आधारित चक्रानुक्रम द्वारा दो शिक्षक (प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों में से)

(vii) प्रायोजक सोसायटी का एक नामिति

(viii) रजिस्ट्रार जो सचिव होगा।

प्रबंध बोर्ड की सदस्यता और इसके अधिकारों की शर्तें अनुबंध-1 में दी गई हैं।

5.8 कुलपति एक प्रख्यात शिक्षाविद होना चाहिए और इसकी नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा खोज-सह-चयन समिति की सिफारिश पर की जानी चाहिए। इस समिति में सरकार का एक नामिति होगा जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से नामित किया जाना चाहिए, कुलाधिपति का एक नामिति और प्रबंध बोर्ड का एक नामिति शामिल होना चाहिए। समिति की अध्यक्षता प्रबंध बोर्ड के नामिति द्वारा की जानी चाहिए।

5.9 समविश्वविद्यालय के अन्य सभी सांविधिक निकायों की व्याख्या अनुबंध-2 में दी गई है।

6.0 **दाखिले और शुल्क संरचना**

6.1 सभी समविश्वविद्यालयों, सार्वजनिक अथवा निजी, में दाखिले विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट अखिल भारतीय परीक्षा में मेरिट के आधार पर और इस संबंध में समय समय पर बनाई गई राष्ट्रीय नीति के अनुरूप होना चाहिए।

6.2 समविश्वविद्यालय संस्थाओं में अनिवासी भारतीयों/भारतीय मूल के व्यक्तियों/विदेशी छात्रों के दाखिले इस संबंध में समय समय पर आयोग द्वारा बनाए गए दिशानिर्देशों/विनियमों के आधार पर होने चाहिए।

6.3 समविश्वविद्यालय संस्थाओं को कम से कम पांच वर्ष के लिए दाखिला संबंधी रिकार्ड को संभाल कर रखना चाहिए।

6.4 समविश्वविद्यालय में अध्ययन के विभिन्न कार्यक्रमों हेतु शुल्क संरचना को भी समय समय पर इस संबंध में सरकार अथवा आयोग द्वारा बनाए गए शुल्क विनियमों के अनुसार नियत किया जाना चाहिए।

6.5 समविश्वविद्यालयों में प्रदान किए जा रहे पाठ्यक्रमों हेतु लिए जा रहे शुल्क के स्तर का पाठ्यक्रम चालाए जाने की लागत से तर्कसंगत संबंध होगा। शुल्क अवसंरचना को विवरणिका और संस्था की वेबसाईट पर दिखाया जाएगा।

6.6 प्रत्येक ऐसी संस्था जिसे समविश्वविद्यालय, सार्वजनिक अथवा निजी, के रूप में घोषित किया गया है से यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शिक्षा का वाणिज्यिकरण न हो। ऐसी प्रत्येक संस्था को सभी पात्र छात्रों को समानता और पहुंच का अवसर प्रदान करना चाहिए।

6.7 अधिनियम के अंतर्गत समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित कर दिए जाने पर संस्था को आपने अनुमोदित अकादमिक कार्यक्रमों मे छात्रों को दाखिला केवल उस अकादमिक सत्र से देना चाहिए जो केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद होगा। समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित किए जाने के पूर्वानुमान में अथवा संस्था के समविश्वविद्यालय संस्था के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आ जाने, अथवा किसी अन्य कारण से संस्था में छात्रों का दाखिला आवेदन को अवैध बना देगा। ऐसे छात्र जो समविश्वविद्यालय संस्था की घोषणा के लिए आवेदन की तिथि से पहले अथवा समविश्वविद्यालय के कार्यक्षेत्र में आने पर, पहले से ही संस्था में दाखिल हैं वे सभी उद्देश्यों के लिए ऐसे संबद्ध विश्वविद्यालयों में दाखिल रहेंगे और उन्हें उन संबद्ध विश्वविद्यायलों से डिग्री भी प्राप्त होगी।

7.0 अवसंरचना और अन्य सुविधाएं

7.1 ऐसी संस्थाओं में समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में प्रशासन और अनुरक्षण के लिए आवश्यक वित्तीय और अवसंरचनात्मक व्यवहार्यता होनी चाहिए और विश्वविद्यालय के आदर्शों और परंपराओं में भागीदारी और शिक्षण, अनुसंधान और विस्तार कार्यों की गुणवत्ता में वृद्धि करने की क्षमता रखने वाला प्रबंधन होना चाहिए।

7.2 इसके पास निम्नलिखित न्यूनतम अवसंरचना और अन्य सुविधाएं होनी चाहिए:-

7.2.1 भूमि और भवन:-

i) यदि ये संस्था महानगर क्षेत्र में स्थित है तो इसके मुख्य परिसर में पांच एकड़ से कम भूमि नहीं होनी चाहिए; यदि यह गैर महानगरीय शहरी क्षेत्र में स्थित है तो इसके मुख्य परिसर में सात एकड़ भूमि होनी चाहिए; अथवा यदि यह गैर शहरी क्षेत्रों में स्थित है तो इसके मुख्य परिसर में दस एकड़ भूमि होनी चाहिए अथवा संबद्ध सांविधिक/विनियामक निकाय के मानकों के अनुसार, जो भी अधिक हो। बहुविषयक संस्था के मामले में औसत भूमि आवश्यकता सभी पाठ्यक्रमों के लिए विभिन्न सांविधिक परिषदों द्वारा विनिर्दिष्ट कुल भू-क्षेत्र होना चाहिए।

ii) कम से कम 1000 वर्गमीटर का प्रशासनिक भवन

iii) कम से कम 10000 वर्गमीटर का अकादमिक भवन जिसमें पुस्तकालय, व्याख्यान थियेटर और प्रयोगशालाएं शामिल हैं। इसमें से केन्द्रीय पुस्तकालय ही लगभग 2000 वर्गमीटर का होगा।

iv) समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित किए जाने के लिए आवेदन के समय शिक्षकों के लिए आवास, गेस्ट हाउस और विद्यार्थियों के लिए छात्रावास होने चाहिए। समविश्वविद्यालय संस्था की घोषण के तीन वर्ष

के अंदर ही छात्रावास क्षमता को कम से कम 25 प्रतिशत बढ़ा दिया जाना चाहिए।

v) यदि संस्था अध्ययन के व्यावसायिक कार्यक्रम चला रही है तो ऊपर के अतिरिक्त संबद्ध सांविधिक निकाय के विद्यमान मानक और प्रतिमानक लागू होने चाहिए।

vi) <u>उपस्कर, पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएं और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं:</u>

संस्था के उपस्कर, पुस्तकें और पत्र-पत्रिकाएं संस्था के आकार और कार्यों के अनुरूप होने चाहिए और इन्हें संबद्ध सांविधिक/विनियामक निकाय की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। स्व अध्ययन/वास्तविक प्रयोगों/तकनीकों के अनुसार कार्य करने की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संस्था के पास उचित स्तर की ब्राडबैंड कनेक्टिविटि भी होनी चाहिए। इसके साथ-साथ पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों और अन्य अध्ययन सामग्रियों तक इलेक्ट्रानिक पहुंच का प्रावधान भी होना चाहिए।

7.3 <u>अकादमिक कार्यक्रम</u>

- अंतरविषयक अध्ययन और अनुसंधान के लिए अकादमिक कार्यक्रम में पर्याप्त अवसर होंगे।
- कार्यक्रम का वितरण नवाचारी शिक्षण और अध्ययन प्रकिया तथा मूल्यांकन प्रणाली पर आधारित होगा।
- इसे उपयुक्त अर्हता प्राप्त संकाय का सहयोग प्राप्त होगा।

इसमें अवर स्नातक और कम से कम पांच स्नातकोत्तर अकादमिक विभाग होने चाहिए जिसमें प्रत्येक विभाग में सामान्य पाठ्यक्रमों के लिए एक प्रोफेसर दो रीडर और तीन लेक्चरर वाला न्यूनतम स्थायी संकाय होना चाहिए और इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, डेंटल, नर्सिंग, फार्मेसी, फिजियोथेरिपी आदि जैसे अन्य विषयों के पाठ्यक्रमों के मामले में संकाय को संबद्ध सांविधिक परिषद के मानकों और दिशानिर्देशों के अनुसार होंगे जिनकी अर्हता और वेतनमान आयोग/संबद्ध सांविधिक परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएंगे, संबद्ध सांविधिक निकाय द्वारा बनाए गए मानकों और प्रतिमानकों के अनुसार उन्हें अनिवार्य तकनीकी और मंत्रालयी सहायक स्टाफ दिया जाएगा।

7.4 वित्तीय व्यवहार्यता:

समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषणा के लिए आवेदन की तारीख से पहले पिछले पांच वर्ष के लिए संस्था के संपरीक्षित लेखों द्वारा संस्था की वित्तीय व्यवहार्यता का सत्यापन किया जाएगा।

7.5 कायिक निधि:

7.5.1 सरकार द्वारा अनुरक्षण अथवा वित्तपोषण न किए जाने वाली संस्थाओं के मामले में निम्नलिखित कायिक निधि का सृजन किया जाएगा और इसे अपरिवर्तनीय सरकारी सुरक्षा अथवा आयोग द्वारा अनुमोदित अन्य स्वरूपों के माध्यम से प्रस्तावित समविश्वविद्यालय संस्था के नाम पर स्थायी रूप से अनुरक्षित किया जाएगा:-

क. इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, चिकित्सा जैसे व्यावसायिक कार्यक्रम प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए 8.00 करोड़ रूपए

ख. प्रबंधन, कानून, शिक्षा जैसे कार्यक्रम प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए 5.00 करोड़ रूपए

ग. अन्य कार्यक्रम प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए 4.00 करोड़ रूपए

घ. व्यावसायिक और अन्य, दोनों, कार्यक्रम प्रदान करने वाली संस्थाओं के लिए 10.00 करोड़ रूपए

ड. नए वर्ग के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं के लिए 25 करोड़ रूपए

7.5.2 आयोग की पूर्वानुमति के बिना कायिक निधि को परिसमाप्त नहीं किया जाएगा।

7.5.3 आयोग को अधिकार होगा कि वह समय समय पर कायिक निधि के किसी उर्ध्वमुखी संशोधन का निदेश दे।

7.5.4 कायिक निधि पर प्राप्त ब्याज का उपयोग संस्था के विकास के उद्देश्य से ही किया जाएगा।

7.5.5 समविश्वविद्यालय स्तर की घोषणा वापस लिए जाने अथवा समविश्वविद्यालय संस्था की सोसायटी अथवा ट्रस्ट के समाप्त हो जाने के मामले में

उत्तरदायित्वों को पूरा करने, यदि कोई हो, के लिए कायिक निधि आयोग को अपवर्तित होगी।

7.5.6 कायिक निधि से संबंधित प्रावधान केवल उन्हीं समविश्वविद्यालयों पर लागू होंगे जो इन विनियमों की अधिसूचना के बाद अस्तित्व में आए हैं। तथापि, सार्वजनिक वित्तपोषित संस्थाओं के मामले में राज्य अथवा केन्द्र सरकार द्वारा उन्हें लगातार वित्तपोषित करने की प्रतिबद्धता को पर्याप्त माना जाएगा।

7.6 संस्था की सभी चल और अचल संपदा प्रस्तावित समविश्वविद्यालय संस्था का अनिवार्य अंग है और वे उसी प्रकार से संस्था को कानूनी रूप से प्राप्त होंगी जो संपदा स्थानांतरण अधिनियम, 1882 अथवा उस समय लागू किसी अन्य कानून के अंतर्गत मान्य होंगे। तथापि, यदि संस्था ने अचल संपदा को किराए पर प्राप्त किया है तो यह लीज सतत स्वरूप की होगी और आरंभ में कम से कम 99 वर्ष के लिए लागू होगी।

7.7 संस्था की आय और संपदा, जो किसी तरह भी प्राप्त की गई हो, उसका उपयोग केवल संस्था के लक्ष्यों की प्रगति के लिए ही किया जाएगा जिसमें संस्था की उन्नति और विकास शामिल है। संस्था की आय/संपदा का कोई भी भाग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में लाभ के तौर पर ऐसे व्यक्तियों को नहीं दिया जाएगा अथवा स्थानांतरित किया जाएगा जो संस्था के सदस्य हैं। बशर्ते इसमें शामिल किसी भी कारण से किसी ऐसे सदस्य को विश्वास में मानदेय के रूप में भुगतान को रोका नहीं जाएगा जिसने न किया गया हो अथवा किसी अन्य व्यक्तियों को संस्था की सेवा की हो अथवा यात्रा, कहीं रूकने और अन्य समान प्रभारों के लिए भुगतान न किया गया हो और ऐसे सभी व्यय जिन्हें किसी उद्देश्यार्थ संस्था के लेखों में उचित तौर पर दर्शाया गया हो।

8.0 सम विश्वविद्यालय बनने वाली संस्था की घोषणा किए जाने के लिए कार्यप्रणाली

8.01 किसी संस्था को समविश्वविद्यालय घोषित करने के लिए प्रस्तावों पर विचार करने हेतु इन विनियमों में दिए गए न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली संस्थाएं अपने आवेदन विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में दो प्रतियों में सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार को भेज

सकती हैं। प्रत्येक आवेदन के लिए आयोग को प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली–110002 के पक्ष में आहरित डिमांड ड्राफ्ट के जरिए किया जाएगा।

8.02 यह अपने आवेदन के साथ प्रमाणपत्र सहित एक आश्वासन भी प्रस्तुत करेगा कि इसके द्वारा पहले से चलाए जा रहे व्यावसायिक कार्यकर्मों, यदि कोई हो, के लिए एआईसीटीई, एमसीआई, डीसीआई, एनसीटीई, बीसीआई, आईएनसी आदि जैसी संगत सांविधिक/विनियामक निकायों का अनुमोदन है। साथ ही ऐसे निकायों द्वारा दिए गए अनुमोदन के पत्र की सत्यापित प्रति भी लगाएंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक आवेदन के साथ जहां आवश्यक हो, संबद्ध राज्य सरकार से आवश्यकता प्रमाण पत्र भी लगा होना चाहिए।

8.03 अपने आवेदन के साथ इसे संबद्ध विश्वविद्यालय/संबद्ध विश्वविद्यालयों जैसा भी मामला हो, से एक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। इस प्रमाणपत्र में दिया जाना चाहिए कि ऐसी संस्था/संस्थाओं में पहले से दाखिल छात्र प्रस्तावित समविश्वविद्यालय संस्था का महत्वपूर्ण भाग होंगे। उक्त संबद्ध विश्वविद्यालय/संबद्ध विश्वविद्यालयों में दाखिल छात्र अपने संगत अकादमिक कार्यकर्मों को पूरा करने तक वर्तमान निबंधनों और शर्तों के अंतर्गत सभी उद्देश्यों के लिए उस विश्वविद्यालय के छात्र होंगे।

8.04 मानव संसाधन विकास मंत्रालय परामर्श हेतु इन आवेदनों को आयोग को भेजेगा।

8.05 आयोग संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन की प्रारंभिक जांच करेगा और यदि आवश्यक हो तो कमियों के लिए यदि कोई हो, संस्था को लिखेगा और स्पष्टीकरण/अतिरिक्त सूचना/आवश्यक दस्तावेज मांगेगा। आयोग संबद्ध राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को आवेदन पर उनके विचार जानने के लिए भी लिखेगा।

8.06 इन विनियमों में विनिर्दिष्ट प्रकिया के अनुसार गठित विशेषज्ञ समिति की सहायता से आयोग आवेदन की जांच करेगा। विशेषज्ञ समिति में आयोग का कोई वर्तमान सदस्य शामिल नहीं होगा। इस प्रकार से गठित विशेषज्ञ समिति में संबद्ध सांविधिक परिषद (परिषदों) का प्रतिनिधि एक सदस्य के रूप में शामिल होगा जिसके पास परामर्श को न मानने का अधिकार भी होगा।

8.07 विशेषज्ञ समिति अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित कार्य भी करेगी:–

क) विस्तार में आवेदन की जांच और संवीक्षा करेगी;

ख) संस्था का दौरा, इसके प्रमुख पणधारियों के साथ विचार विमर्श और इन विनियमों में दिए गए विश्वविद्यालय के संदर्भों और आदर्शों का संस्थान द्वारा पालन किया जा रहा है इसकी अकादमिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना;

ग) उपलब्ध रिकार्डों के आधार पर अकादमिक और अनुसंधान उत्कृष्टता सुनिश्चित करना;

घ) स्नातक होने वाले छात्रों के कार्यनिष्पादन, पीएच.डी. के लिए पंजीकृत अनुसंधान अध्येताओं, पूरी हो गई और चल रही प्रायोजित अनुसंधान परियोजनाओं, सूचीबद्ध पत्र पत्रिकाओं में अनुसंधान प्रकाशन, पिछले पांच वर्ष के लिए पीएच.डी. आदि वाली संकाय जैसे मामलों पर विशिष्ट सूचना देना;

ड.) इसकी वित्तीय व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए इसके रिकार्ड सत्यापित करना; और

च) सरकार को उचित सलाह देने में मदद करने के लिए आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

8.08 विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के साथ-साथ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की टिप्पणियों यदि कोई हो, और सांविधिक और विनियामक निकायों के विचारों की जांच आयोग द्वारा की जाएगी और तत्पश्चात मंत्रालय के विचार हेतु आयोग अपनी राय मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा। आयोग को सांविधिक निकाय की रिपोर्ट में न केवल कालेज के रूप में संस्था के कार्यनिष्पादन हेतु न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति को दर्शाया जाएगा बल्कि इसमें शिक्षा और अनुसंधान के लिए उच्च मानकों में संस्था की उपलब्धियों के अपने मूल्यांकन के साथ-साथ परंपरागत व्यावसायिक कालेज की तुलना में विश्वविद्यालय के स्तर के अनुसार नवाचार और उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने की इसकी क्षमता को भी शामिल किया जाना चाहिए।

8.09 किसी संस्था को समविश्वविद्यालय संस्था अथवा किसी अन्य रूप में घोषित किए जाने के लिए केन्द्र सरकार को परामर्श देने के कारणों का आयोग की

राय में उल्लेख होगा। इसके साथ समविश्वविद्यालय संस्था के भाग के रूप में संस्थाओं की संख्या और नामों का भी उल्लेख होगा।

8.10 केन्द्र सरकार को अपनी अंतिम सिफारिशों में आयोग प्रस्तावित समविश्वविद्यालय संस्था के नाम पर चल और अचल परिसंपत्तियों के स्थानांतरण से संबंधित आवश्यक दस्तावेज के प्रस्तुतीकरण और अन्य शर्तों यदि कोई हों, के बारे में सरकार को सूचित करेगा।

8.11 प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार अनुच्छेद 8.05 के अंतर्गत अपने विचार देते हुए पारदर्शी नीति बनाएगी और आयोग द्वारा दिए गए प्रोफार्मा में 60 दिनों के अंदर अपनी विचारित टिप्पणियों को आयोग और केन्द्र सरकार को भेजेगी जिसमें संबद्ध संस्था को भी एक प्रति होगी। यदि पत्र जारी करने के 60 दिनों के अंदर आयोग को ऐसी कोई टिप्पणियां प्राप्त नहीं होती हैं तो यह मान लिया जाएगा कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को आवेदन पर कोई टिप्पणी नहीं देनी है।

8.11.1 प्रस्ताव की सिफारिश करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार को प्रस्तावित समविश्वविद्यालय के बंद हो जाने की स्थिति में अथवा अन्य किसी भी कारण से, दाखिल छात्रों के हितों की रक्षा करने की अपनी इच्छा को दर्शाना होगा।

8.12 इन विनियमों में दी गई सभी आवश्यकताओं को संस्था पूरा करती है इस बात से सहमत हो जाने के पश्चात केन्द्र सरकार अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत ऐसी संस्था को समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित करने की अधिसूचना जारी कर सकती है। यह घोषणा आरंभ में पांच वर्ष की अवधि के लिए होगी। 'समविश्वविद्यालय' की घोषणा का पुष्टिकरण इन विनियमों के प्रावधानों को इसके द्वारा पूरा किए जाने की समीक्षा और इसके संतोषजनक कार्यनिष्पादन पर आधारित होगा।

8.13 यदि आयोग के परामर्श पर केन्द्र सरकार इस निर्णय पर पहुंचती है कि संस्था समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषणा किए जाने योग्य नहीं है तो सरकार तदनुसार कारण देते हुए संस्था को सूचित कर सकती है।

8.13.1 यदि सरकार आयोग की सिफारिश से सहमत नहीं है तो सरकार को लिखित में इसका स्पष्टीकरण प्रदान करना होगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

8.14 किसी संस्था को समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित न किए जाने के निर्णय पर पहले के निर्णय की तारीख से एक साल से पहले समीक्षा हेतु विचार नहीं किया जाएगा। ऐसी समीक्षा का प्रस्ताव संबद्ध संस्था द्वारा केन्द्र सरकार को विशेष अनुरोध पर ही किया जाएगा। संस्था ऐसी समीक्षा के लिए केन्द्र सरकार को अपना अनुरोध तभी कर सकती है जब वह केन्द्र सरकार द्वारा अपने पहले निरस्त आवेदन/प्रस्ताव में दी गई कमियों को सही कर लेती है।

8.15 केन्द्र सरकार आयोग के परामर्श के लिए मामला आयोग को भेज सकती है

8.16 आयोग एक नई विशेषज्ञ समिति गठित करके संशोधित आवेदन की संवीक्षा और मूल्यांकन के लिए ऊपर अनुच्छेद 8.07 के माध्यम से 8.05 के अनुसार इस विनियम में विनिर्दिष्ट तरीके से समीक्षा प्रक्रिया आरंभ कर सकता है। इस समिति का आकार कम से कम उसी पुरानी समिति की तरह होगा जिसमें इस प्रस्ताव को निरस्त किया था, इसके सदस्यों में पिछली समिति का कोई विशेषज्ञ सदस्य नहीं होगा।

8.17 ऐसी 'समीक्षा' पर लिए गए निर्णय पर पुनः विचार अथवा पुनः समीक्षा नहीं की जाएगी। तथापि आवेदक संस्था को अनुमति होगी कि वह संबंध संस्था को 'समीक्षा' के संबंध में मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्णय की तारीख से कम से कम तीन वर्ष के अंतराल के पश्चात 'समविश्वविद्यालय संस्था' की स्थिति के लिए पुनः आवेदन दे सके।

8.18 आयोग प्रत्येक आवेदन की स्थिति के संबंध में सूचना अपनी वेबसाइट पर मासिक आधार पर डालेगा। केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की गई अधिसूचनाओं में दी गई शर्तों की पूर्ति पर प्रगति रिपोर्ट देते हुए आयोग केन्द्र सरकार वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

9.0 सम विश्वविद्यालय बनने वाली संस्था का नए वर्ग में आना

9.1 इस वर्ग के अंतर्गत समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित करने की मांग करने वाली संस्था को इस संबंध में तथ्य प्रस्तुत करने होंगे कि वह ज्ञान के विशेष और उभरते हुए क्षेत्रों को समर्पित है, परंतु परंपरागत वर्तमान संस्थाओं द्वारा अनुकरणीय नहीं है-विशेष रूप से अध्ययन और अनुसंधान के विशिष्ट क्षेत्रों में-जिन्हें देश की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के लिए अथवा हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित किया जाता है-इसमें अकादमिक समुदाय के विशिष्ट व्यक्तियों के साथ विस्तृत विचार विमर्श की सुगठित प्रकिया से सुनिश्चित किया जाता है। इस उद्देश्यार्थ आवेदक संस्था को ज्ञान के उभरते हुए क्षेत्रों में अपने द्वारा प्रदान किए जाने वाले पाठ्यक्रमों और अनुसंधान कार्यक्रमों की विस्तृत पाठ्यचर्या का ब्यौरा देना होगा।

9.1.1 ऐसी नई संस्थाएं अपने कार्यों का विस्तार करने और संबंधित/अनुपूरक क्षेत्रों में प्रवेश करने की इच्छा रखती हैं तो ऐसा करना तभी संभव होगा यदि समविश्वविद्यालय का दर्जा की सरकार की पुष्टि के पांच वर्ष की समाप्ति पर समीक्षा के पश्चात इसके दर्जे की पुष्टि हो जाती है। इसके लिए इन्हें केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी जिसके लिए आयोग ऐसी संस्थाओं को ऐसी अनुमति देने से पहले सख्त समकक्ष समीक्षा करेगा।

9.2 सरकार (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) के माध्यम से परामर्श हेतु नए वर्ग के अंतर्गत समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में स्वयं को घोषित कराने के लिए किसी संस्था से आवेदन की प्राप्ति पर आयोग विनियमों के अनुच्छेद 8 में दी गई प्रकिया का पालन करेगा। तथापि, अनुच्छेद 8 में दी गई प्रकिया आरंभ करने से पहले आयोग इस आवेदन की जांच एक समिति के माध्यम से करेगा जिसमें एक अध्यक्ष और संगत विषयों में तीन विशेषज्ञ शामिल होंगे जो अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नामित किए जाएंगे। इस समिति में संगत सांविधिक परिषद का एक प्रतिनिधि भी शामिल होगा। आवेदक संस्था समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण करेगा। समिति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह यह सिफारिश करे कि यह संस्था ज्ञान के उभरते क्षेत्रों में आयोग की नीति के अनुरूप है और इस संस्था पर नए वर्ग के अंतर्गत विचार किया जा सकता है। आयोग की विशेषज्ञ समिति द्वारा संस्था के दौरे पर निर्णय लेने से पहले समिति को यह सब सिफारिशें करनी होंगी।

9.3 केंद्र सरकार अनुच्छेद 8 में दी गई प्रकिया का पालन करेगी और इस बात का संतोष होने पर कि संस्था इन विनियमों में दी गई आवश्यकताओं को पूरा करती है वह नए वर्ग के अंतर्गत संस्था को अनंतिम रूप से समविश्वविद्यालय संस्था घोषित करने की अधिसूचना जारी कर सकती है।

9.4 केन्द्र सरकार आयोग के परामर्श पर नए वर्ग के अंतर्गत ऐसी संस्था के पांच वर्ष पूरे हो जाने के पश्चात संस्था को दिए गए समविश्वविद्यालय के दर्जे को, उदघोषणा के द्वारा पुष्टि प्रदान कर सकती है। संबद्ध संस्था की समीक्षा के लिए आयोग के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति (समितियों) की पांच निरंतर वार्षिक कार्यनिष्पादन रिपोर्टों के माध्यम से इस उद्देश्यार्थ आयोग अपनी सलाह दे सकता है। यदि केन्द्र सरकार इस निर्णय पर पहुंचती है कि संस्था समविश्वविद्यालय संस्था की घोषणा किए जाने के लिए पात्र नहीं है तो वह तदनुसार कारण बताते हुए संस्था को सूचित कर सकती है।

10.0 वित्तपोषण

ऐसी संस्थाएं जिन्हें समविश्वविद्यालय संस्था घोषित कर दिया गया है वे अपने अनुरक्षण और विकासशील व्यय जिसमें व्यय और भविष्य के विस्तार में वेतन और गैर वेतन में वृद्धि शामिल है, के लिए उन्हीं निधीयन स्रोतों से निधियां प्राप्त करते रहेंगे जो ऐसी उदघोषणा से पहले उन्हें वित्तपोषित कर रहे थे। ऐसी संस्थाएं अपने वित्त को अनुपूरित भी कर सकती हैं।

11.0 मानकों का अनुरक्षण

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया, डेंटल काउंसिल आफ इंडिया, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, बार काउंसिल आफ इंडिया, इंडियन नर्सिंग काउंसिल आदि जैसी संबद्ध सांविधिक/विनियामक निकायों द्वारा अथवा आयोग द्वारा कालेज स्तरीय संस्थाओं के लिए विनिर्दिष्ट निदेशात्मक अकादमिक और भौतिक अवसंरचना, शिक्षकों की अर्हता आदि के न्यूनतम मानकों से अधिक प्रतिमानकों को समविश्वविद्यालय संस्था को बनाए रखना होगा और जहां भी लागू हो वहां अध्ययन के विभिन्न कार्यक्रमों को चलाने के लिए उनका अनुमोदन प्राप्त करेगा। आयोग द्वारा गठित समितियों द्वारा इसकी आवधिक मानीटरिंग की जाएगी।

12.0 नए विभाग, ऑफ–कैम्पस केन्द्र और विदेशी परिसर

12.01 जैसा कि केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना में और इसके विशेषज्ञता के क्षेत्र के भीतर आने वाले अध्ययन के अनुमोदित कार्यक्रमों के आचार में घोषित किया गया है कोई भी समविश्वविद्यालय संस्थान सामान्यतः अपने स्वयं के मुख्य परिसर के भीतर ही कार्य करेगा।

12.02 यदि कोई समविश्वविद्यालय संस्थान किसी ऐसे विषय, जो इसके विशेषज्ञता के अथवा समवर्गी क्षेत्र में नहीं है, के लिए कोई नया विभाग शुरू करना चाहता है तो यह ऐसा केवल आयोग की पूर्व अनुमति से और तभी कर सकता है यदि वह क्षेत्र इस समविश्वविद्यालय संस्थान के उन उद्देश्यों के अंतर्गत शामिल हो जिनके लिए इस समविश्वविद्यालय संस्थान की स्थापना की गई थी।

12.03 किसी भी समविश्वविद्यालय संस्थान को निम्नलिखित परिस्थितियों को इसके अपनी अनुमोदित भौगोलिक सीमाओं के बाहर कार्य संचालन तथा दूरवर्ती परिसर (परिसरों)/विदेशी परिसर (परिसरों) को शुरू करने की अनुमति दी जा सकती है।

12.03.1 यह कम से कम तीन वर्ष की अवधि से समविश्वविद्यालय संस्थान के रूप में विद्यमान हो।

12.03.2 यह स्नातकोत्तर और शोध कार्यक्रमों का संचालन कर रहा हो।

12.03.3 इसने उत्कृष्ट और नवाचारी शिक्षण जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ मॉड्यूलर संरचना की शुरूआत, सतत आंतरिक मूल्यांकन आदि जैसे व्यवहारिक शैक्षिक और परीक्षा संबंधी सुधार शामिल हैं और सार्थक एवं सोद्देश्य शोध तथा विस्तार कार्यकलापों के लिए ख्याति अर्जित की हो।

12.03.4 शिक्षण के न्यूनतम मानकों, संकाय की अर्हता, अखिल भारतीय स्तर पर विद्यार्थियों के योग्यता आधारित दाखिलों और यथोचित शुल्क संरचना के संबंध में आयोग और अन्य सांविधिक/विनियामक निकायों के संबद्ध विनियमों/मानदंडों के अनुपालन के संबंध में इसका रिकार्ड अच्छा हो।

12.03.5 नए विभाग/कार्यक्रम शुरू करने के लिए इसने, जहां भी लागू हो, सांविधिक/विनियामक निकाय का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया हो, उक्त निकाय की सभी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हो।

12.03.6 इसके पास प्रस्तुत उच्चतम ग्रेड के साथ राष्ट्रीय प्रत्यायन एवं मूल्यांकन परिषद् का वर्तमान प्रत्यायन हो।

12.03.7 इसके पास प्रस्तावित नए विभाग/दूरवर्ती केन्द्र/विदेशी परिसर शुरू करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन हों।

12.03.8 इसने समविश्वविद्यालय संस्था के ऑफ-कैम्पस/विदेशी कैम्पस की स्थापना करने और उन्हें चलाने के लिए किसी अन्य संगठन के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से फ्रेंचाइजी करार संपन्न न किया हो।

12.04 किसी भी समविश्वविद्यालय संस्था द्वारा मुख्य परिसर में अथवा अनुमोदित ऑफ कैम्पस में कोई नया विभाग केवल आयोग के अनुमोदन से ही खोला जा सकता है।

12.05 किसी भी समविश्वविद्यालय संस्था द्वारा नए ऑफ-कैम्पस केन्द्र की स्थापना आयोग की सिफारिश पर केवल केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से ही की जा सकती है। ऑफ-कैम्पस की स्थापना के प्रस्ताव पर केन्द्रीय सरकार संबंधित राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकार के विचारों को भी ध्यान में रखेगी।

12.06 किसी भी समविश्वविद्यालय संस्था द्वारा विदेशी परिसर की स्थापना आयोग की सिफारिश पर केन्द्रीय सरकार और मेजबान देश की सरकार से विधिवत अनुमति प्राप्त करने के बाद ही की जाएगी। बशर्ते कि वह देश जहां इस प्रकार विदेशी परिसर स्थापित करना प्रस्तावित है, को इस प्रकार की स्थापना हेतु इसके अनुमोदन की आवश्यकता होगी। इसके पश्चात उस देश द्वारा प्रदत्त अनुमोदन के साथ अनुमति हेतु केन्द्र सरकार को आवेदन दिया जाएगा।

बशर्ते कि उस देश में जहां विदेशी परिसर स्थापित करने का प्रस्ताव है, को उस देश के प्रथम उपबंध में दिए अनुसार अनुमोदन हेतु भारत सरकार की पूर्व सहमति अपेक्षित है।

तो केन्द्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिश के प्रस्ताव पर 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' दे सकती है परंतु इस अनापत्ति को, समविश्वविद्यालय संस्था द्वारा विदेशी परिसर स्थापित करने हेतु केन्द्र सरकार की अनुमति नहीं समझा जाएगा। इस प्रकार की समविश्वविद्यालय संस्था एक वचनपत्र भी प्रस्तुत करेगी कि यह उस देश द्वारा निर्धारित सभी विधियों, मानदंडों और मानकों का अनुपालन करेगा जहां विदेशी परिसर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

12.07 किसी नए ऑफ कैम्पस/विदेशी कैम्पस को शुरू करने की इच्छा रखने वाली कोई समविश्वविद्यालय संस्था केन्द्र/दूरवर्ती परिसर शुरू करने की प्रस्तावित तारीख से कम से कम छः माह पूर्व निर्धारित प्रपत्र में भारत सरकार को आवेदन करेगी। भारत सरकार इस प्रस्ताव को परामर्श हेतु आयोग के पास भेजेगी। परिसर अथवा अनुमोदित दूरवर्ती केन्द्र में कोई नया विभाग अथवा अनुमोदित ऑफ-कैम्पस खोलने के मामले में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन सीधे आयोग को भेजा जाएगा।

12.08 केन्द्रीय सरकार को अपना परामर्श भेजने से पूर्व आयोग अवसंरचनागत सुविधाओं, कार्यक्रमों, वित्तीय व्यवहार्यता इत्यादि का सत्यापन करने के लिए प्रस्तावित नए ऑफ कैम्पस (कैम्पसों) और विदेशी परिसर (परिसरों) का स्थल दौरा/सत्यापन करेगा/नया विभाग स्थापित के प्रस्ताव के मामले में आयोग स्थल दौरे के बाद निर्णय लेगा।

12.09 यदि समविश्वविद्यालय संस्था को अनुमति नहीं दी जाती है तो वह समविश्वविद्यालय संस्था अपने पूर्ववर्ती आवेदन की नामंजूरी की तारीख से दो वर्ष पश्चात ही ऐसी अनुमति के लिए पुनः आवेदन कर सकती है।

12.10 ऑफ-कैम्पस केन्द्र/विदेशी परिसर में आयोग और संबद्ध सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुसार पर्याप्त शैक्षिक और भौतिक अवसंरचनागत सुविधाएं होंगी। ऐसी सुविधाएं ऑफ-कैम्पस केन्द्र/विदेशी परिसर के आकार और कियाकलापों के समानुपात में होंगी। समविश्वविद्यालय संस्था के विदेशी परिसर स्थापित राष्ट्र के मानकों और प्रतिमानकों का पालन करेगा।

12.11 प्रवेश, शिक्षण, मूल्यांकन, डिग्री प्रदान करना इत्यादि के मामलों में ऑफ–कैम्पस/विदेशी कैम्पस सीधे मूल समविश्वविद्यालय संस्था द्वारा प्रशासित होंगे। विदेशी परिसरों के मामले में पट्टा समविश्वविद्यालय के नाम पर (ऐसा विदेशी परिसर स्थापित करने का प्रस्ताव है वह उस देश की कियाविधि के अनुसार) स्वीकार्य होगा। यदि किसी विशेष देश में पट्टा अनुमेय नहीं है तो वहां भूमि और अन्य परिसंपत्तियां किसी नीतिगत भागीदार के नाम पर स्वीकार्य होंगी। इसके लिए समविश्वविद्यालय संस्था नीतिगत भागीदार के साथ विधिवत पंजीकृत समझौता ज्ञापन/सहयोग करेगी जो भारत में उस समय लागू कानून के अनुसार शासित होगा।

12.12 नए विभाग/ऑफ–कैम्पस केन्द्र/विदेशी परिसर अध्ययन के केवल उन्हीं कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगे जो समविश्वविद्यालय संस्था के उपयुक्त निकायों और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद, भारतीय दंत चिकित्सा परिषद, भारतीय फार्मेसी परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय नर्सिंग परिषद इत्यादि, जो भी लागू हो, जैसे संबद्ध सांविधिक/विनियामक निकाय द्वारा अनुमोदित किए गए हों। यदि उच्च अध्ययन की किसी नई अथवा मौजूदा संस्था को किसी मौजूदा समविश्वविद्यालय संस्था के संघटक एकक के रूप में उसके विस्तार के अंतर्गत लाए जाने का प्रस्ताव है, तो मौजूदा समविश्वविद्यालय संस्था की परिधि के अंतर्गत संस्था को लाए जाने से संबंधित यूजीसी अधिनियम की धारा 3 के तहत घोषणा की अधिसूचना की तारीख के बाद की तारीख को उस संस्था में दाखिल हुए विद्यार्थी ही समविश्वविद्यालय संस्था द्वारा परीक्षा लिए जाने के पात्र होंगे और इसीलिए अपने अध्ययन के संबंधित पाठ्यक्रमों अथवा कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर समविश्वविद्यालय संस्था की डिग्री अथवा अन्य किसी अर्हता के पात्र होंगे।

12.13 किसी विदेशी परिसर के मामले में मुख्य परिसर से/को निधियों का प्रेक्षण भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों द्वारा शासित होगा।

12.14 ऑफ–कैम्पस/ओवरसीज कैम्पस के समग्र कार्य निष्पादन की मानीटरिंग आयोग द्वारा छः वर्ष के लिए द्विवार्षिक रूप से की जाएगी और तत्पश्चात पांच वर्ष के बाद की जाएगी तथा प्रबंध, शैक्षिक विकास और सुधार पर उसके निर्देश कैम्पस के लिए अनिवार्य होंगे।

12.15 यदि समविश्वविद्यालय संस्था के कैम्पस के कार्य आयोग द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करते हैं और आयोग द्वारा यथा मूल्यांकित दो लगातार समीक्षाओं के लिए असंतोषजनक हैं तो समविश्वविद्यालय संस्था को आयोग की सलाह पर केन्द्र सरकार द्वारा संबद्ध परिसर/परिसर बाह्य केन्द्र को बंद करने की सलाह दी जा सकती है। आयोग ऐसे परिसर बाह्य केन्द्र/कैम्पस के विरूद्ध प्राप्त गंभीर शिकायतों के आधार पर दोषी समविश्वविद्यालय संस्था के विरूद्ध कार्रवाई कर सकता है। छात्रों के हित में आयोग ऐसे निर्देश की तारीख के अनुसार नामांकित छात्रों के अंतिम बैच के उत्तीर्ण होने तक केन्द्र/कैम्पस को कार्य करने की अनुमति दे सकता है। समविश्वविद्यालय संस्था केन्द्र/परिसर में संकाय/स्टाफ के हितों की रक्षा करने के लिए उचित कदम उठाएगा। केन्द्र/कैम्पस के बंद होने की स्थिति में उसकी संपत्तियां और देनदारियां समविश्वविद्यालय संस्था को हस्तांतरित हो जाएगी।

12.16 जहां भी सांविधिक परिषदों अथवा मेजबान राष्ट्र द्वारा ऑफ–कैंपस और विदेशी परिसरों की स्थापना के लिए आवश्यक होगा वहां आयोग समविश्वविद्यालय संस्थाओं को 'सिद्धांततः अनापत्ती' दे सकता है बशर्ते वह प्रस्ताव की व्यवहार्यता से संतुष्ट हो। परंतु इस प्रकार के अनापत्ति को सम विश्वविद्यालय संस्था द्वारा ऑल–कैंपस केन्द्र स्थापित करने की अनुमति नहीं माना जाएगा। ऐसे मामलों में आयोग द्वारा इन विनियमों के अंतर्गत अनौपचारिक प्रस्ताव (वों) की जांच की जा सकती है। आयोग/सरकार के अंतिम अनुमोदन के पश्चात ही समविश्वविद्यालय संस्थाएं इन पाठ्यक्रमों में छात्रों को दाखिला दे सकती हैं।

13.0 समविश्वविद्यालय संस्थाओं के तत्वाधान के अंतर्गत अन्य संस्थाओं का समावेशन

13.01 जैसा कि ऊपर अनुच्छेद 8.12 के उल्लिखित है समविश्वविद्यालय संस्था समान प्रबंधन के अंतर्गत विद्यमान संस्थाओं को घटकीय संस्थाओं/इकाइयों के रूप में समाविष्ट करने के लिए आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में आवेदन कर सकती है। ऐसा वह समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में अपने दर्जे की पुष्टि के बाद ही कर सकती है।

13.02 शिक्षा के विशेषाधिकार के प्रयोग को रोकने के लिए इस संबंध में समय-समय पर आयोग द्वारा लगाई गई शर्तों का सभी समविश्वविद्यालय संस्थाओं द्वारा पालन किया जाना आवश्यक होगा।

13.03 यदि समान प्रबंधन के अंतर्गत विद्यमान संस्था विश्वविद्यालय से संबद्ध है तो इसे समविश्वविद्यालय संस्था के तत्वाधान में तभी लिया जा सकेगा जब यह संबद्ध विश्वविद्यालय से असंबद्ध हो जाएगी। संबद्ध विश्वविद्यालय इसकी सहमति भी देगा कि संस्था(ओं) विशेष के छात्र जिन्होंने वहां दाखिला लिया हुआ है वे सभी उद्देश्यों के लिए इसके संबद्धन के अंतर्गत अपने पाठ्यक्रम को जारी रख सकेंगे और वह उन छात्रों को डिग्री भी प्रदान करेगा जो अभी संस्था(ओं) से पाठ्यक्रम कर रहे हैं।

13.04 ऐसी संस्थाओं के पास, वर्तमान में मान्य, प्रदत्त शीर्षस्थ ग्रेड का मान्य प्रत्यायन होना चाहिए जो या तो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन बोर्ड से होना चाहिए अथवा इसके सभी पात्र पाठ्यक्रम राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से अथवा समय-समय पर आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्यायन एजेंसी से प्रत्यायित होने चाहिए।

13.05 समविश्वविद्यालय संस्था जो किसी संस्था को अपनी घटकीय इकाई के रूप में, अपने तत्वाधान में लाना चाहती है उसे आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में दो प्रतियों में, अपना प्रस्ताव सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (उच्चतर शिक्षा विभाग) को प्रस्तुत करना चाहिए बशर्ते उक्त संस्था इन विनियमों के अंतर्गत पात्रता मानदंडों और अन्य संगत शर्तों को पूरा करे।

13.06 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार परामर्श हेतु प्रस्ताव की एक प्रति आयोग को भेजेगा।

13.07 प्राप्त प्रस्ताव की जांच के लिए तब आयोग अनुच्छेद 8.05 से 8.07 के अंतर्गत दी गई कार्य प्रणाली को अपनाएगा।

13.08 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को उपयुक्त सिफारिश करने से पहले आयोग अपनी विशेषज्ञ समिति के माध्यम से सभी संगत घटकों और पहलुओं को सत्यापित करेगा।

13.09 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को सिफारिश करने से पहले संबद्ध सांविधिक/विनियामक निकाय के विचारों/टिप्पणियों और संबद्ध राज्य सरकार के विचार, यदि कोई हों, के साथ विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के साथ-साथ निरीक्षण रिपोर्ट की जांच कार्य-पद्धति के अनुसार आयोग द्वारा की जाएगी।

13.10 यदि निरस्तीकरण होता है तो केन्द्र सरकार तदनुसार संस्था को सूचित कर सकती है।

13.11 विनियम 8 में दिए गए कार्य पद्धति के संगत कदम उठाने के पश्चात केन्द्र सरकार निम्नलिखित से संतुष्ट होने पर समविश्वविद्यालय संस्था के तत्वाधान के अंतर्गत संस्था के समावेशन को अधिसूचित करेगी:

क) उत्कृष्ट और नवाचार शिक्षण के लिए, अर्थपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण अनुसंधान के लिए मॉड्यूलर अवसंरचना, सतत आंतरिक मूल्यांकन इत्यादि जैसे शैक्षिक प्रक्रिया और परीक्षा सुधार के लिए तथा विस्तार कियाकलापों के लिए सम्मान प्राप्त किया हो; और

ख) शिक्षा के माध्यम के न्यूनतम मानकों, अध्यापकों की योग्यताओं, अखिल भारतीय स्तर पर छात्रों के मेरिट आधारित प्रवेश और समुचित फीस ढांचा के संबंध में आयोग तथा संबद्ध सांविधिक/विनियामक निकायों के संगत विनियमों/मानदंडों के अनुरूप अच्छा रिकार्ड।

13.12 समविश्वविद्यालय के तत्वावधान में आने वाली किसी संस्था के संबंध में समविश्वविद्यालय केवल स्वयं को संबद्ध विश्वविद्यालय से अलग करने के पश्चात संस्था में नामांकित छात्रों को डिग्री प्रदान करेगा। समविश्वविद्यालय संसी के तत्वावधान में शामिल होने से पहले ऐसी संस्था में नामांकित छात्र उस विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त करेंगे जिनसे वह संस्था उनके पंजीकरण के समय संबद्ध थी।

13.13 एक बार कोई संस्था समविश्वविद्यालय के तत्वाधान में आ जाती है तो वह समविश्वविद्यालय संस्था के ऑफ-कैम्पस के समान होगी और समविश्वविद्यालय संस्था के ऑफ-कैम्पस से संबंधित विनियमों के सभी अनुच्छेद उस पर लागू होंगे।

13.14 संस्था की सभी चल और अचल संपत्ति तथा मौजूदा मानव शक्ति और इसके रिकार्ड (उनको छोड़कर जो ऐसे छात्रों से संबद्ध है जिन्होंने संस्था से पास होने तक पहले ही पंजीकरण करा लिया है) को अधिसूचना से पहले समविश्वविद्यालय संस्था को हस्तांतरित कर दिया जाएगा।

13.15 यदि कोई संस्था जो उसी पंजीकृत सोसायटी/न्यास के तहत न हो और समविश्वविद्यालय संस्था के तत्वावधान में आना चाहती हो तो वह सोसायअी पंजीकरण अधिनियम अथवा न्यास अधिनियम, जैसा भी मामला हो, की प्रकिया के अनुसार सोसायटी/न्यास को आवेदन करेगी और सोसायटी/न्यास का एक भाग बन जाएगी। इसके पश्चात् सोसायटी/न्यास इसे समविश्वविद्यालय संस्था के तत्वावधान में लाने के लिए इन विनियमों का पालन करेगी।

13.16 यदि समविश्वविद्यालय संस्था के तत्वावधान में लाने के लिए किसी संस्था का आवेदन किसी भी कारण से अस्वीकृत कर दिया जाता है तो समविश्वविद्यालय संस्था अपने पूर्व आवेदन की अस्वीकृति की तारीख से दो वर्ष के पश्चात् इसके लिए पुनः आवेदन करने की पात्र होगी।

14.0 संयुक्त कार्यक्रम

14.1 कोई समविश्वविद्यालय संस्था आयोग की पूर्व अनुमति के साथ भारत तथा विदेशों में किसी अन्य विश्वविद्यालय/समविश्वविद्यालय संस्था के साथ संयुक्त शैक्षिक कार्यक्रम चला सकती है। प्रस्तावित संयुक्त कार्यक्रम ऐसे कार्यक्रमों के लिए समय-समय पर लागू होने वाले अधिनियमों और आयोग के नियमों के अनुरूप होना चाहिए।

14.2 इनमें पर्याप्त रक्षोपाय होंगे ताकि ऐसे कार्यक्रमों में नामांकित छात्रों के हितों की रक्षा की जा सके।

14.3 ये कार्यक्रम अनिवार्य मूल्यांकन और प्रत्यायन के अधीन होने चाहिएं।

15.0 समविश्वविद्यालय संस्था सभी के लिए खुली हों

15.1 किसी समविश्वविद्यालय संस्था में प्रवेश और रोजगार मत, धर्म, जाति अथवा संप्रदाय और भारत में आवास के किसी भी क्षेत्र/स्थान पर ध्यान न देते हुए भारत के सभी नागरिकों के लिए खुला होगा।

15.2 सार्वजनिक और निजी वित्तपोषित विश्वविद्यालय स्तरीय संस्थाओं के लिए लागू सभी नीतियां और प्रक्रियाएं उचित वर्ग की समविश्वविद्यालय संस्थाओं पर लागू होंगी।

16.0 समविश्वविद्यालय संस्था एकात्मक होगी

एक बार किसी संस्था को एकात्मक संस्था का दर्जा दे दिया जाता है तो वह किसी अन्य संस्था के साथ संबद्ध नहीं होगी।

17.0 आरक्षण नीति

समविश्वविद्यालय संस्था प्रवेश और भर्ती में समय-समय पर लागू संसद के किसी अधिनियम के अनुरूप आरक्षण नीति को कार्यान्वित करेगी।

18.0 दूरस्थ शिक्षा

इन विनियमों के तद्नुरूप केन्द्र सरकार द्वारा घोषित किसी भी समविश्वविद्यालय संस्था को दूरस्थ प्रणाली से कोई पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, इन विनियमों से पहले घोषित किसी भी संस्था को इन विनियमों के तद्नुरूप अपने ऑफ-कैम्पस केन्द्र/अनुमोदित ऑफ-शौर कैम्पस से दूरस्थ प्रणाली में पाठ्यक्रम चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

19.0 विश्वविद्यालय निकायों की बैठकें

समविश्वविद्यालय संस्था प्रबंध बोर्ड, शैक्षिक परिषद् इत्यादि जैसे अपने सांविधिक निकायों की विनियमों के अनुसार नियमित अंतराल पर बैठकें

आयोजित करेगी और ऐसी प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त को संस्था की वेबसाइट पर दर्शाया जाएगा।

20.0 'विश्वविद्यालय' शब्द का प्रयोग

कोई समविश्वविद्यालय संस्था अपने नाम के आगे 'विश्वविद्यालय' शब्द का प्रयोग नहीं करेगी। परंतु वह अपने नाम के आगे ''समविश्वविद्यालय'' का उल्लेख कर सकती है।

21.0 नामावली में कुछ शब्दों के प्रयोग पर रोक

केवल केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित शैक्षिक संस्थाएं ही अपने नाम के आगे ''भारतीय/राष्ट्रीय संस्था'' (अंग्रेजी अथवा देशी भाषा में) का प्रयोग कर सकती हैं।

22.0 विनियमों का उल्लंघन करने के परिणाम

22.1 केन्द्र सरकार/आयोग को समविश्वविद्यालय संस्था, इसके भवनों, प्रयोगशालाओं, परीक्षाओं, समविश्वविद्यालय संस्थाओं द्वारा संचालित शिक्षण एवं अन्य कार्यों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा, और किसी समविश्वविद्यालय संस्था के मामले में केन्द्र सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यदि आवश्यक समझा जाए तो कोई जांच करने का अधिकार होगा।

22.2 स्वयं आयोग द्वारा समविश्वविद्यालय संस्था की जांच करने के पश्चात अथवा किसी अन्य भरोसेमंद स्रोत से प्राप्त कोई अन्य प्रमाणिक सूचना अथवा रिपोर्ट के आधार पर और समविश्वविद्यालय संस्था द्वारा प्रस्तुत उत्तर पर विचार करने के पश्चात यदि आयोग इस बात से संतुष्ट है कि समविश्वविद्यालय संस्था ने इन विनियमों के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया है अथवा आयोग द्वारा जारी किसी दिशा-निर्देश का उल्लंघन किया है तो आयोग संबद्ध समविश्वविद्यालय संस्था को आयोग द्वारा घोषित अवधि के लिए नए छात्रों को प्रवेश न देने के लिए निर्देश दे सकता है और इन विनियमों के जानबूझकर लगातार उल्लंघन के मामले में वह केन्द्र सरकार को उस अधिसूचना को हटाने की सलाह दे सकता है जिसमें संस्था को समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में

घोषित किया गया था। ऐसी घोषणा को वापस लिए जाने की स्थिति में समविश्वविद्यालय संस्था की सभी चल और अचल संपत्तियां आयोग द्वारा जब्त कर ली जाएगीं। पहले उल्लंघन के लिए ऐसी अधिसूचना को हटाए जाने की अवधि एक शैक्षिक सत्र तक सीमित होगी जिसे बार-बार उल्लंघन करने पर पांच शैक्षिक सत्र तक बढ़ाया जा सकता है। तथापि, गंभीर और जानबूझकर उल्लंघन करने के लिए समविश्वविद्यालय का दर्जा स्थायी रूप से हटा लिया जाएगा।

22.3 समविश्वविद्यालय के दर्जे को हटाए जाने की स्थिति में ऐसी विशिष्ट स्थिति के लिए लागू अथवा निर्धारित पूर्व प्रकियाओं के अनुसार छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए साथ-साथ कार्रवाई की जानी चाहिए।

22.4 यदि कोई समविश्वविद्यालय संस्था स्वयं को अथवा अपने घटकों को 'समविश्वविद्यालय संस्था' के दर्जे से हटाना चाहता है तो वह केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति से ऐसा कर सकता है। उन्हें हटाया जाना उस तारीख से लागू होगा जब नामांकित छात्रों का अंतिम बैच समविश्वविद्यालय संस्था से उत्तीर्ण हो जाए।

23.0 पुराने प्रस्तावों पर विचार करना

सभी प्रस्ताव (समविश्वविद्यालय के रूप में घोषित किए जाने अथवा ऑफ-कैम्पस/ऑफ-शौर कैम्पस की स्थापना के रूप में अनुमोदन अथवा समविश्वविद्यालय संस्था के तत्वावधान में ऑफ-कैम्पस केन्द्रों को शामिल करना चाहने वाले) जो आयोग में लंबित अथवा प्रकियाधीन हैं अथवा जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त किया गया है उन्हें नए विनियमों के द्वारा शासित होगा।

एन. ए. काज़मी, सचिव

[विज्ञापन III/4/113/10/असा.]

अनुबंध–1

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित किए जाने की मांग करने वाली प्रत्येक संस्था को प्रस्तावित समविश्वविद्यालय संस्था के नाम और तरीके से सोसायटी अथवा किसी न्यास के रूप में पंजीकृत किया जाएगा।

2. ऐसी प्रत्येक संस्था को स्पष्ट रूप से निम्नलिखित को दर्शाना होगाः

i) नामः प्रस्तावित समविश्वविद्यालय संस्था के नाम के साथ सोसायटी/न्यास का नाम।

ii) कार्यालयः सोसायटी अथवा न्यास का पंजीकृत कार्यालय, संस्था का अधिकारिक पता।

iii) उद्देश्यः प्रस्तावित समविश्वविद्यालय संस्था का उद्देश्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा। उद्देश्य को सही प्रकार से परिभाषित और प्रस्तावित समविश्वविद्यालय संस्था के छात्रों, अध्यापकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को पूर्णतः ज्ञात होना चाहिए।

iv) उपर्युक्त निर्धारित उद्देश्यों को कानून में धर्मार्थ प्रकृति के समझा जाएगा।

3. <u>समविश्वविद्यालय संस्था के कार्यक्रम</u>

3.1 इन उद्देश्यों को देखते हुए संस्थानों में निम्नलिखित होंगेः

(i) प्रस्तावित अध्ययन कार्यक्रम और अनुसंधान अथवा सुविधाएं अध्ययन के उन शाखाओं में ऐसे माध्यम का प्रावधान करेंगी जो संस्था अधिगम की प्रोन्नति तथा ज्ञान के प्रसार के लिए आवश्यक समझें।

(ii) उन व्यक्तियों जिन्होंने अध्ययन कार्यक्रम और/अथवा अनुसंधान को संतोषजनक रूप से पूरा कर लिया है, को डिग्री और डिप्लोमा तथा/अथवा प्रमाण पत्रों की प्रकृति और परीक्षा एवं मूल्यांकन हेतु निर्धारित योजना।

(iii) विजिटरशिप, फैलोशिप, पुरस्कार और मेडल जैसी अन्य शैक्षिक योजनाओं के ब्यौरे।

4. <u>संस्था का प्रबंधन</u>

4.1 नियमों के अनुसार विभिन्न प्राधिकारियों के गठन तक प्रबंध बोर्ड के पहले सदस्यों के नाम, पते और व्यवसाय जिन्हें संस्था के प्रबंधन के अंतर्गत गठित किया गया है, के ब्यौरे उनकी सहमति पत्र के साथ आवेदन के समय प्रस्तुत किए जायेंगे।

4.2 प्रबंध बोर्ड एक समेकित निकाय होगा जो इसे सुविचारित निर्णयों को शीघ्रता से लेने और उनका कार्यान्वयन करने तथा आपदा स्थिति से प्रभावी रूप से निपटने का पात्र बनाएगा।

4.3 प्रबंध बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे:-

i) कुलपति ..... अध्यक्ष

ii) समकुलपति (जहां लागू हो)

iii) संकाय के डीन दो से अधिक नहीं (वरिष्ठता के आधार पर रोटेशन द्वारा)

iv) कुलाधिपति द्वारा नामित तीन प्रबुद्ध शिक्षाविद्

v) केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से नामित एक प्रबुद्ध शिक्षाविद्

vi) वरिष्ठता के आधार पर रोटेशन द्वारा दो अध्यापक (प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसरों से)

vii) प्रायोजक सोसायटी का एक नामिति

viii) रजिस्ट्रार, जो सचिव होगा

प्रबंध बोर्ड की सदस्यता की शर्तें और अधिकार निम्नानुसार होंगे:-

4.3.1 पदेन सदस्यों और शिक्षण स्टाफ के सदस्यों के अलावा प्रबंध बोर्ड के सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए कार्यभार ग्रहण करेंगे और वे पुनःनियुक्ति के पात्र होंगे।

4.3.2 प्रबंधन बोर्ड में शिक्षण स्टाफ के सदस्य दो वर्ष की अवधि अथवा उनके शिक्षण स्टाफ के सदस्य बने रहने जो भी कम हो, तक के लिए कार्यभार संभालेंगे।

4.4 <u>प्रबंध बोर्ड के अधिकार</u>

प्रबंध बोर्ड प्रबंधन का मुख्य अंग होगा और समविश्वविद्यालय संस्था का प्रमुख कार्यकारी निकाय होगा और उसकी निम्नलिखित शक्तियां होंगी, नामतः

i) शैक्षिक परिषद् की सलाह पर शैक्षिक कार्य के लिए प्रभागों और विभागों की स्थापना करना और समविश्वविद्यालय संस्था के कार्य करना और उनको अध्ययन, शिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र आबंटित करना;

ii) शिक्षण एवं शैक्षिक पदों का सृजन करना, आयोग, और संबद्ध सांविधिक निकाय द्वारा यथानुमोदित उनकी संख्या, कैडर और अर्हताओं का निर्धारण करना और वित्त समिति के परामर्श से ऐसे पदों के वेतन का निर्धारण करना;

iii) चयन समिति की सिफारिश के आधार पर आवश्यक समझे गए प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और अन्य शैक्षिक स्टाफ की नियुक्ति करना;

iv) समविश्वविद्यालय संस्था के प्रोफसर, एसोसिएट प्रोफेसर और अन्य शैक्षिक स्टाफ के कर्तव्यों और सेवा शर्तों को शैक्षिक परिषद् के परामर्श से निर्धारित करना;

v) विजिटिंग फैलो और विजिटिंग प्रोफेसरों की नियुक्ति का प्रावधान करना;

vi) निर्धारित कैडर के रूप में प्रशासनिक, मंत्रालयी और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा वित्त समिति के परामर्श से उनकी नियुक्ति करना;

vii) शिक्षण, शैक्षिक, तकनीकी, प्रशासनिक और अन्य स्टाफ के हित के लिए ऐसी पेंशन, बीमा, भविष्यनिधि और ग्रेच्युटी का गठन करना जो वह उचित समझे और समविश्वविद्यालय संस्था के स्टाफ और छात्रों के लाभ के लिए एसोसिएशन की स्थापना और सहायता, संस्था, निधियां, न्यास और परिवहन में सहायता देना;

viii) समविश्वविद्यालय संस्था के कर्मचारियों के बीच अनुशासन को विनियमित और लागू करना तथा जहां भी आवश्यक हो, अनुशासनात्मक कार्रवाई करना;

ix) समविश्वविद्यालय संस्था के कर्मचारियों और छात्रों की शिकायतों को दूर करने के लिए निर्णय देना;

x) कुलपति को अनुपस्थिति की छुट्टी प्रदान करना और उसकी अनुपस्थिति के दौरान कार्य करने हेतु आवश्यक प्रबंध करना;

xi) परीक्षा के परिणाम के आधार पर डिग्री और डिप्लोमा प्रदान करने की अनुमति देना और डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और अन्य शैक्षिक शीर्षक तथा डिस्टींक्शन प्रदान करना;

xii) परीक्षकों, मॉडरेटर, टेबुलेटर और परीक्षाओं के लिए नियुक्त अन्य कर्मियों के वेतन और यात्रा तथा अन्य भत्तों को शैक्षिक परिषद् और वित्त समिति के परामर्श से निर्धारित करना;

xiii) इस उद्देश्य के लिए तैयार किए जाने वाले नियमों के अनुसार ट्रेवलिंग फैलोशिप, छात्रवृत्ति, स्टूडेंटशिप, मेडल और पुरस्कारों सहित फैलाशिप गठित करना;

xiv) समविश्वविद्यालय संस्था की ओर से किसी अचल संपत्ति को प्राप्त करने, उसके प्रबंधन तथा निपटान के संबंध में किसी मामले पर कार्यरत न्यासियों को सलाह देना;

xv) ऐसी शर्तों जिन्हें आवश्यक समझा जाए पर समविश्वविद्यालय संस्था के उद्देश्यों के लिए आवश्यक भूमि अथवा भवन अथवा कार्य को लीज पर लेना अथवा उपहारस्वरूप प्राप्त करना अथवा अन्यथा खरीदना और ऐसे भवनों अथवा कार्यों पर निर्माण करना अथवा उनमें संशोधन करना और उनका रखरखाव करना;

xvi) समविश्वविद्यालय संस्था की ओर से चल संपत्ति को हस्तांतरित करना अथवा हस्तांतरण को स्वीकार करना;

xvii) कार्यरत न्यासियों (यदि कोई हो) के परामर्श से समविश्वविद्यालय संस्था से संबद्ध अथवा समविश्वविद्यालय संस्था के उद्देश्य के लिए प्राप्त संपत्ति, चल अथवा अचल के संबंध में यात्रा, सरकारी प्रतिभूतियों का हस्तांतरण, पुनः यात्रा, मोर्टगेज, लीज, बॉंड, लाइसेंस और करार करना;

xviii) उद्देश्य के प्रावधानों के अनुरूप समविश्वविद्यालय संस्था के उद्देश्य हेतु अपील जारी करना, अनुदान, दान, सहयोग, उपहार, पुरस्कार, छात्रवृत्ति, फीस और अन्य राशि प्राप्त करना, अनुदान और दान देना, पुरस्कार, छात्रवृत्ति देना इत्यादि;

xix) धारक न्यासी (यदि कोई हो) के परामर्श से ऐसी शर्तों जो वह उचित समझे पर बॉंड, मोर्टगेज, प्रोमिजरी नोट्स अथवा अन्य दायित्वों अथवा प्रतिभूतियों अथवा समविश्वविद्यालय संस्था की संपत्तियों के आधार पर राशि उगाहना अथवा ऋण लेना, पैसा उगाहने में सभी व्यय और लिए गए ऋण का पुनर्भुगतान करना;

xx) भारत सरकार के और अन्य प्रोमिजरी नोट्स, विनिमय बिल, चैक अथवा अन्य इंस्ट्रूमेंट को निकालना और स्वीकार करना और छूट देना तथा मोलभाव करना;

xxi) ऐसी निधि को रखना जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगाः

(क) केन्द्र अथवा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त सभी राशियां;

(ख) समविश्वविद्यालय संस्था द्वारा प्राप्त सभी फीस और अन्य प्रभार;

(ग) समविश्वविद्यालय संस्था द्वारा अनुदान, उपहार, दान, लाभ, अनुरोध अथवा हस्तांतरण द्वारा प्राप्त सभी राशि और

(घ) समविश्वविद्यालय संस्था द्वारा किसी अन्य तरीके से अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सभी राशियां;

xxii) समविश्वविद्यालय संस्था का किसी एक अथवा अधिक अनुसूचित बैंकों के साथ खाता अथवा खाते खोलना और उसको संचालित करने के लिए प्रकिया निर्धारित करना;

xxiii) अनुसूचित बैंकों में निधियों में जमा सारी राशि को जमा करवाना और उन्हें वित्त समिति के परामर्श से निवेश करना;

xxiv) समविश्वविद्यालय संस्था की निधियों का निवेश करना और समविश्वविद्यालय संस्था को सौंपी गई निधियों का ठीक समझे गए प्रतिभूतियों में निवेश करना और समय-समय पर किसी निवेश को बंद करना;

xxv) प्रत्येक पिछले वित्तीय वर्ष के लिए विनियम/उप नियम द्वारा निर्धारित तरीके से तुलन पत्र सहित समुचित लेखे और अन्य संगत रिकार्ड रखना और वार्षिक लेखा विवरण तैयार करना;

xxvi) समविश्वविद्यालय संस्था के राजस्व, वित्त, लेखों, निवेश, संपत्तियों, कार्यों और सभी अन्य प्रशासनिक मामलों को प्रबंधन करना, विनियमित करना और उन्हें लागू करना तथा इस उद्देश्य के लिए आवश्यक समझे गए एजेंट अथवा एजेंटों को नियुक्त करना;

xxvii) समविश्वविद्यालय संस्था के कार्य करने के लिए आवश्यक भवन, परिसर, फर्नीचर, फिटिंग, उपकरण और अन्य सुविधाओं को प्रदान करना;

xxviii) समविश्वविद्यालय संस्था के संकाय सदस्यों और कर्मचारियों के लिए आवास बनाना और प्रबंधन करना तथा छात्रों के लिए छात्रावास बनाना और प्रबंधन करना;

xxix) समविश्वविद्यालय संस्था के छात्रों के लिए अन्य एजेंसियों द्वारा बनाए गए और प्रबंधित छात्रावासों, को मान्यता प्रदान करना और उनका नियंत्रण तथा पर्यवेक्षण करना और ऐसी मान्यता को रद्द करना;

xxx) प्रबंध बोर्ड द्वारा उचित समझे गए उद्देश्यों के लिए और अधिकारों के साथ ऐसी समितियों की नियुक्ति करना और इन समितियों में ऐसे व्यक्तियों को शामिल करना जो आवश्यक समझे जाएं;

xxxi) समविश्वविद्यालय संस्था के किसी इंस्ट्रूमेंट अथवा कार्य के उद्देश्य से किसी व्यक्ति की ऐसी शक्तियों के साथ जो आवश्यक समझी जाएं समविश्वविद्यालय संस्था का अट्रार्नी नियुक्त करना;

xxxii) अगले वर्ष के लिए लेखा परीक्षक की नियुक्ति करना;

xxxiii) समविश्वविद्यालय संस्था का चिन्ह् का चयन करना और समान मुहर का चयन करना और ऐसी मुहर को रखने और उसके उपयोग का प्रावधान करना;

xxxiv) किसी समिति अथवा उसके द्वारा गठित उप समिति अथवा समविश्वविद्यालय संस्था के कुलपति अथवा किसी अन्य व्यक्ति को अपना कोई भी अधिकार प्रदान करना;

xxxv) समविश्वविद्यालय संस्था के सभी प्रशासनिक मामलों को जिनका अनन्य रूप से उल्लेख नहीं किया गया है, का संचालन करना;

xxxvi) समविश्वविद्यालय संस्था के कार्यों को उचित और सक्षम रूप से संचालित करने के लिए सभी आवश्यक निर्णय लेना;

4.5 प्रबंध बोर्ड की बैठकें

(i) प्रबंध बोर्ड की वर्ष में कम से कम चार बार बैठकें होंगी। प्रबंध बोर्ड की बैठक के लिए कम से कम 15 दिन का समय दिया जाएगा। प्रबंध बोर्ड की बैठक के लिए कोरम आठ (8) सदस्यों का होगा।

(ii) प्रबंध बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा और उनकी अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने बीच से चुने गए किसी सदस्य द्वारा की जाएगी।

(iii) अध्यक्ष सहित प्रबंध बोर्ड के प्रत्येक सदस्य का एक वोट होगा और बोर्ड की बैठकों में निर्णय साधारण बहुमत से लिया जाएगा। समान वोट होने पर अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा।

(iv) प्रबंध बोर्ड के लिए आवश्यक कोई कार्य इसके सदस्यों के बीच समुचित संकल्प पत्र का परिचालन करके किया जाएगा और इस प्रकार परिचालित तथा साधारण बहुमत से अनुमोदित कोई संकल्प पत्र इस प्रकार प्रभावी और अनिवार्य होगा जैसा कि उस संकल्प को बोर्ड की बैठक में पारित किया गया हो।

(v) प्रत्येक बैठक की कार्रवाई की एक प्रति बैठक के पश्चात शीघ्रातिशीघ्र समविश्वविद्यालय संस्था के कुलाधिपति को प्रस्तुत की जाएगी।

4.6 सदस्यता को समाप्त करना

यदि कुलपति के अलावा तथा अध्यापकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों के अलावा कोई सदस्य समविश्वविद्यालय संस्था ने पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार करता है और प्रबंध बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में पूर्व अनुपस्थिति अवकाश के बगैर अनुपस्थित रहता है तो वह प्रबंध बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा।

4.7 प्रबंध बोर्ड द्वारा स्थायी समिति और तदर्थ समिति का गठन

4.7.1 समविश्वविद्यालय संस्था के नियमों के प्रावधानों के अधीन प्रबंध बोर्ड एक संकल्प पत्र द्वारा ऐसे उद्देश्यों के लिए और उन अधिकारों के साथ जो वह

समविश्वविद्यालय संस्था के किसी कार्य को पूरा करने में आवश्यक समझे अथवा समविश्वविद्यालय संस्था के किसी मामले में जांच करने, रिपोर्ट करने, सलाह देने के लिए ऐसी स्थायी समिति अथवा तदर्थ समिति अथवा समितियों का गठन कर सकता है।

4.7.2 प्रबंध बोर्ड स्थायी समिति अथवा तदर्थ समितियों में ऐसे व्यक्तियों को ले सकता है जिन्हें वह उचित समझे।

4.8 <u>प्रबंधन बोर्ड के अधिकारों को सौंपना</u>

प्रबंध बोर्ड एक संकल्प पत्र द्वारा स्थायी समिति अथवा तदर्थ समिति के समविश्वविद्यालय संस्था के कुलपति अथवा किसी अन्य अधिकारी को इस शर्त के साथ आवश्यक समझे गए अधिकार सौंप सकता है कि इस प्रकार सौंपे गए अधिकारों में कुलपति अथवा संबद्ध अधिकारी अथवा स्थायी समिति अथवा तदर्थ समिति द्वारा किए गए कार्य प्रबंध बोर्ड की अगली बैठक में सूचित किए जायेंगे।

अनुबंध–2

समश्विविद्यालय संस्था के अन्य प्राधिकरण

समविश्वविद्यालय संस्था के अन्य प्राधिकरण निम्नलिखित होंगे:

1. शैक्षिक परिषद्
2. आयोजना एवं मानीटरिंग बोर्ड
3. वित्त समिति
4. अध्ययन बोर्ड
5. ऐसे अन्य प्राधिकरण जिन्हें समविश्वविद्यालय संस्था के प्राधिकारियों द्वारा नियमों के अनुसार घोषित किया जाए।

1. शैक्षिक परिषद्

1.1 शैक्षिक परिषद् समविश्वविद्यालय संस्था का मुख्य शैक्षिक निकाय होगा और नियमों के प्रावधानों के अधीन उसके पास शिक्षण, शोध, प्रशिक्षण, पाठ्यक्रमों का अनुमोदन, अनुसंधान गतिविधियों को समन्वय, समविश्वविद्यालय संस्था के भीतर परीक्षा का नियंत्रण और जिम्मेदारी होगी और वह संस्था के नियमों द्वारा निर्धारित अथवा प्रदत्त ऐसे अधिकारों का प्रयोग करेगा और ऐसे कार्यों को करेगा जो कि आवश्यक समझे गए हों।

1.2 शैक्षिक परिषद् का गठन

शैक्षिक परिषद् में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, नामतः

1. कुलपति ..... अध्यक्ष
2. समकुलपति (यदि कोई हो)
3. संकाय के डीन

4. विभागों के प्रमुख
5. विभागों के प्रमुखों से इतर दस प्रोफेसर (वरिष्ठता के रोटेशन द्वारा)
6. विभागों के प्रमुखों से इतर विभागों से तीन एसोसिएट प्रोफेसर, वरिष्ठता के रोटेशन द्वारा
7. वरिष्ठता के रोटेशन द्वारा विभागों से तीन सहायक प्रोफेसर
8. सम्मानित शिक्षाविदों अथवा समविश्वविद्यालय संस्था की गतिविधियों से संबद्ध अन्य क्षेत्रों से तीन व्यक्ति जो समविश्वविद्यालय संस्था की सेवा में नहीं हो, कुलपति द्वारा नामित
9. शैक्षिक परिषद् द्वारा उनके विशिष्ट ज्ञान के लिए तीन व्यक्ति जो शिक्षण स्टाफ के सदस्य नहीं हो
10. रजिस्ट्रार, जो शैक्षिक परिषद् का सचिव होगा।

टिप्पणी: विभिन्न श्रेणियों के लिए अभ्यावेदन केवल रोटेशन द्वारा होंगे और चयन द्वारा नहीं। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कोई विशिष्ट संकाय सदस्य परिषद् की सदस्यता में हावी न हो।

1.3 सदस्यता की अवधि

पदेन सदस्यों के अलावा सदस्यों की अवधि दो वर्ष की होगी।

1.4 शैक्षिक परिषद् के अधिकार और कार्य

शैक्षिक परिषद् के निम्नलिखित अधिकार और कर्तव्य होंगे, नामतः

i. स्वयं अथवा प्रबंध बोर्ड के अनुरोध पर अथवा विभागों/संकाय सदस्यों द्वारा प्रस्तावित शैक्षिक हित के मामलों पर विचार करना और उन पर उचित कार्रवाई करना;

ii. समविश्वविद्यालय संस्था के शैक्षिक कार्यों का सामान्य पर्यवेक्षण करना तथा शिक्षा के माध्यम, मूल्यांकन और शैक्षिक मानकों में सुधार के संबंध में निर्देश देना;

iii. समविश्वविद्यालय संस्था के भीतर अनुसंधान का संवर्धन करना, समय-समय पर ऐसे शोधकर्ताओं के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त करना;

iv. समविश्वविद्यालय संस्था की डिग्री और डिप्लोमा के लिए अध्ययन पाठ्यक्रम निर्धारित करना;

v. उप नियमों के अनुरूप परीक्षा के संचालन हेतु प्रबंध करना;

vii. परीक्षाओं के उचित मानकों का अनुरक्षण करना;

viii. विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं के डिप्लोमा और डिग्री को मान्यता प्रदान करना और समविश्वविद्यालय संस्था के डिप्लोमा और डिग्री का समकक्ष निर्धारित करना;

ix. विभागीय सहयोग के लिए उपाय सुझाना;

x. निम्नलिखित के संबंध में प्रबंध बोर्ड की सिफारिशें देना:

क) शोध और प्रशिक्षण के अध्ययन के मानकों के सुधार हेतु उपाय;

ख) फैलोशिप, ट्रेवलिंग फैलोशिप, छात्रवृत्ति, मेडल, पुरस्कार इत्यादि का गठन;

ग) प्रबंध बोर्ड को विभागों/केन्द्रों की स्थापना अथवा उन्हें बंद करने की सिफारिश करना; और

घ) समविश्वविद्यालय संस्था के शैक्षिक कार्यों, प्रवेश, परीक्षा, फैलोशिप और छात्रवृत्ति, फ्रीशिप प्रदान करना, छूट, उपस्थिति, अनुशासन, आवास इत्यादि को शामिल करते हुए नियम बनाना;

xi. प्रबंध बोर्ड द्वारा उल्लिखित विशिष्ट मामलों पर सलाह देने के लिए उप समितियों की नियुक्ति करना;

xii. उप समितियों की सिफारिशों पर विचार करना और प्रत्येक मामले में आवश्यक कार्रवाई करना;

xiii. विभागों/केन्द्रों की गतिविधियों की आवधिक समीक्षा करना और निदेश के मानकों को बनाए रखने और उनमें सुधार करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करना;

xiv. प्रबंध बोर्ड को शिक्षण पदों (प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर) के गठन की सिफारिश करना; और

xv. नियमों द्वारा प्रदत्त ऐसे अन्य अधिकार और कार्य करना।

1.5 शैक्षिक परिषद् की बैठक

i. शैक्षिक परिषद् की बैठक शैक्षिक वर्ष में जितनी बार आवश्यक समझा जाए अथवा न्यूनतम तीन बार आयोजित की जाएगी। शैक्षिक परिषद् की बैठक के लिए न्यूनतम 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा।

ii. शैक्षिक परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई शैक्षिक परिषद् की बैठक के लिए कोरम होगा।

iii. अध्यक्ष सहित प्रत्येक सदस्य का एक वोट होगा और शैक्षिक परिषद् की बैठक में साधारण बहुमत से निर्णय लिया जाएगा। बराबर मत होने पर अध्यक्ष का वोट निर्णायक होगा।

iv. शैक्षिक परिषद् के लिए इसकी बैठक से पहले रखे गए कार्य को छोड़कर, कोई भी आवश्यक समझा गया कार्य इसके सदस्यों के बीच संकल्प पत्र के परिचालन द्वारा किया जाएगा और इस प्रकार परिचालित तथा सामान्य बहुमत से अनुमोदित संकल्प इस

प्रकार प्रभावी और अनिवार्य होगा जैसा कि शैक्षिक परिषद् की बैठक में पारित किया गया हो, बशर्ते कि शैक्षिक परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या का कम से कम आधे सदस्यों ने संकल्प पर अपने विचार रिकार्ड करवाए हों।

2.0 आयोजना और मानीटरिंग बोर्ड

2.1 आयोजना और मानीटरिंग बोर्ड समविश्वविद्यालय संस्था का प्रमुख आयोजना निकाय होगा और वह समविश्वविद्यालय संस्था के विकास कार्यक्रमों की मानीटरिंग के लिए जिम्मेदार होगा।

2.2 आयोजना और मानीटरिंग बोर्ड के अध्यक्ष कुलपति होंगे। रजिस्ट्रार इसके सचिव होंगे। इसके यूजीसी के एक नामिति सहित सात आंतरिक सदस्य तथा तीन बाह्य प्रबुद्ध विशेषज्ञ हो सकते हैं।

2.3 आयोजना एवं मानीटरिंग बोर्ड का गठन, अधिकार और कार्य नियमों द्वारा निर्धारित किए जायेंगे।

2.4 आयोजना और मानीटरिंग बोर्ड को समविश्वविद्यालय संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समझे गए किसी मामले पर प्रबंध बोर्ड तथा शैक्षिक परिषद् को सलाह देने का अधिकार होगा।

2.5 आयोजना एवं मानीटरिंग बोर्ड की सिफारिशों को प्रबंध बोर्ड के समक्ष विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ रखा जाएगा। शैक्षिक मामलों से संबद्ध प्रस्तावों को शैक्षिक परिषद् के माध्यम से हल किया जा सकता है।

3.0 वित्त समिति

3.1 वित्त समिति का गठन:

वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे

1. कुलपति –अध्यक्ष
2. समकुलपति

3. समिति अथवा न्यास द्वारा नामित एक सदस्य

4. प्रबंध बोर्ड के दो नामिति, जिनमें से एक बोर्ड का सदस्य होगा।

5. केन्द्र सरकार का एक प्रतिनिधि

6. यदि समविश्वविद्यालय संस्था राज्य सरकार से अनुदान प्राप्त कर रही है तो राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि

7. वित्तीय अधिकारी–सचिव

3.2 <u>वित्त समिति का कार्यकाल</u>

पदेन सदस्यों को छोड़कर वित्त समिति के सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेंगे।

3.3 <u>वित्त समिति के अधिकार और कार्य:</u>

(i) समविश्वविद्यालय संस्था के वार्षिक लेखों तथा वित्तीय अनुमानों पर विचार करना और उन्हें प्रबंध बोर्ड को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करना;

(ii) प्रबंध बोर्ड के वार्षिक बजट और संशोधित अनुमानों पर विचार करना तथा सिफारिश करना;

(iii) समविश्वविद्यालय संस्था की आय और स्रोतों के आधार पर वर्ष के कुल आवर्ती तथा कुल अनावर्ती व्यय की सीमा निर्धारित करना;

टिप्पणी: बजट में प्रदत्त व्यय के अतिरिक्त समविश्वविद्यालय संस्था द्वारा वित्त समिति के अनुमोदन के बगैर कोई व्यय नहीं किया जाएगा।

3.5 वित्त समिति की बैठकें

वित्त समिति की लेखों की जांच करने और व्यय के लिए प्रस्तावों की जांच करने हेतु एक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होगी। बैठक के लिए पांच सदस्यों का कोरम होगा।

4.0 अध्ययन बोर्ड

4.1 समविश्वविद्यालय संस्था के प्रत्येक विभाग के लिए एक अध्ययन बोर्ड होगा।

4.2 प्रत्येक संकाय/विभाग के अध्ययन बोर्ड में निम्नलिखित शामिल होंगे:

1. संकाय के डीन/विभाग प्रमुख – अध्यक्ष
2. संकाय/विभाग के सभी प्रोफेसर
3. वरिष्ठता के रोटेशन द्वारा संकाय/विभाग के दो एसोसिएट प्रोफेसर
4. वरिष्ठता के रोटेशन द्वारा संकाय/विभाग के दो सहायक प्रोफेसर
5. संबद्ध व्यवसाय अथवा उद्योग से संबंध रखने वालों सहित विशेषज्ञ विद्वानों को शामिल करते हुए अधिकतम दो व्यक्ति

4.3 अध्ययन बोर्ड के अधिकार और कार्य समविश्वविद्यालय संस्था के नियमों द्वारा निर्धारित किए जायेंगे।

5.0 चयन समिति

5.1 प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और समविश्वविद्यालय संस्था में नियमों द्वारा निर्धारित अन्य पदों पर नियुक्ति के लिए प्रबंध बोर्ड को सिफारिशें करने हेतु एक चयन समिति होगी।

5.2 प्रत्येक चयन समिति का गठन प्रबंध बोर्ड द्वारा तैयार किए गए नियमों के अनुरूप किया जाएगा।

5.3 चयन समिति की बैठकें

(क) चयन समिति की बैठकें चयन समिति के अध्यक्ष द्वारा जब भी आवश्यक समझा जाए आयोजित की जाएगीं।

(ख) चयन समिति के चार सदस्यों में कम से कम दो विशेषज्ञ कोरम होंगे।

(ग) यदि प्रबंध बोर्ड चयन समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं कर पाता है तो वह इसके कारण रिकार्ड करेगा और उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा उचित समीक्षा की आवश्यकता होगी।

6.0 समविश्वविद्यालय संस्था के अधिकारी

समविश्वविद्यालय संस्था के निम्नलिखित अधिकारी होंगे:

(क) कुलाधिपति
(ख) कुलपति
(ग) समकुलपति
(घ) रजिस्ट्रार
(ड.) वित्त अधिकारी
(च) परीक्षा नियंत्रक
(छ) संकाय का डीन
(ज) विभाग प्रमुख
(झ) समविश्वविद्यालय संस्था के नियमों में निर्धारित अन्य अधिकारी

6.1 कुलाधिपति

समविश्वविद्यालय संस्था में एक कुलाधिपति होगा जो उपस्थित होने पर समविश्वविद्यालय संस्था के दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता करेगा परंतु वह प्रधान कार्यकारी अधीक्षक नहीं होगा। कुलाधिपति की नियुक्ति प्रायोजक सोसायटी अथवा ट्रस्ट के द्वारा की जाएगी और वह

पाचं वर्ष की अवधि के लिए कार्य करेगा तथा एक और टर्म के लिए पात्र होगा। कुलाधिपति न तो सोसायटी के या न्यास के सदस्य होंगे और न ही सोसायटी या न्यास के अध्यक्ष के निकटवर्ती संबंधी होंगे।

जहां भी कुलाधिपति को प्राधिकरणों में व्यक्ति नामित करने का अधिकार दिया जाएगा वह जहां तक आवश्यक हो समविश्वविद्यालय संस्थाओं के लक्ष्यों की प्रोन्नति हेतु विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए व्यक्तियों को नामित करेगा।

6.2 <u>कुलपति</u>

(i) कुलपति समविश्वविद्यालय संस्थाओं के पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होंगे तथा उनकी नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा जांच एवं चयन समिति द्वारा सुझाए गए तीन नामों के पैनल में से की जाएगी। जांच एवं चयन समिति का गठन निम्नलिखित अनुसार होगा:–

1. कुलाधिपति का नामित व्यक्ति
2. केन्द्र सरकार का नामित व्यक्ति; जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचार–विमर्श से सरकार द्वारा नामित लब्धप्रसिद्ध शिक्षाविद् होंगे।
3. प्रबंधन बोर्ड का एक नामित व्यक्ति

(ii) कुलपति की अवधि 5 वर्षों की होगी। वे दूसरी अवधि के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि वे 70 वर्ष से अधिक के न हों।

बशर्ते कि 5 वर्षों की अवधि समाप्त होने के बावजूद वे छः महीने तक या उनके उत्तरवर्ती की नियुक्ति होने तथा उनके कार्यभार संभालने तक, जो भी पहले हो कार्यालय में रह सकते हैं।

(iii) यदि कुलपति का पद, मृत्यु, त्यागपत्र देने या किसी अन्य कारण से तथा उनकी बीमारी के कारण तथा किसी अन्य कारण रिक्त पड़ा रहता है तो उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठतम डीन या,

यदि कोई डीन नहीं है तो वरिष्ठतम प्रोफेसर नए कुलपति की नियुक्ति होने तक या वर्तमान कुलपति के कार्यभार संभालने तक, जैसा भी मामला हो, कुलपति का कार्यभार संभालेंगे।

6.3 कुलपति के अधिकार

i) कुलपति समविश्वविद्यालय संस्थाओं के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे तथा वह समविश्वविद्यालय संस्था का सामान्य निरीक्षण करेंगे और उसके कार्यकलापों की देखभाल करेंगे तथा मुख्यतः सभी समविश्वविद्यालय संस्थाओं के निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होंगे।

ii) कुलपति, प्रबंधन बोर्ड, शैक्षिक परिषद, वित्त समिति, आयोजना एवं अनुवीक्षण बोर्ड तथा चयन समितियों के पदेन अध्यक्ष होंगे।

iii) कुलपति को समविश्वविद्यालय संस्था के विभिन्न प्राधिकरणों की बैठकें आयोजित करने का अधिकार होगा।

iv) यदि कुलपति का मत है कि किसी भी मामले पर शीघ्र कार्रवाई की जानी चाहिए तो वह समविश्वविद्यालय संस्था के विनियमों एवं नियमों के अंतर्गत इसके किसी भी प्राधिकरण को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर सकेगा तथा ऐसी कार्रवाई कर सकता है या इस प्रकार की कार्रवाई करने का उपक्रम कर सकता है अथवा इस प्रकार के मामलों में उसके द्वारा की गई कार्रवाई पर संबंधित प्राधिकारी को रिपोर्ट कर सकता है।

बशर्ते कि ऊपर खंड (ii) में उल्लिखित संबंधित प्राधिकारी का विचार है कि इस प्रकार की कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए तो वह मामला कुलाधिपति को प्रस्तुत कर सकता है जिसका निर्णय अंतिम होगा।

बशर्ते कि समविश्वविद्यालय संस्था में सेवारत कोई भी व्यक्ति उपर्युक्त खंड के अंतर्गत कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई से

असंतुष्ट है तो उसे ऐसे निर्णय के विरूद्ध इस प्रकार की कार्रवाई के बारे में सूचित की जाने वाली तिथि से 30 दिन के अंदर प्रबंधन बोर्ड के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा तथा उसके पश्चात प्रबंधन बोर्ड तदंतर बैठक आयोजित कर सकता है और कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि कर सकता है, संशोधन कर सकता है या उसे वापस ले सकता है।

v) यह सुनिश्चित करना कुलपति का कर्तव्य होगा कि समविश्वविद्यालय संस्था के विनियमों तथा नियमों का यथावत अनुपालन एवं कार्यान्वयन हों; तथा इस संबंध में उसके समक्ष सभी आवश्यक अधिकार होंगे।

vi) समविश्वविद्यालय संस्था के उचित अनुरक्षण एवं अनुशासन से संबंधित सभी अधिकार कुलपति को प्रदत्त होंगे।

vii) कुलपति को, प्रबंधन बोर्ड की सहमति और अनुमति से अपने किसी भी सहायक अधिकारियों को अपने कुछ अधिकार पुनः प्रत्यायुक्त करने का अधिकार होगा।

viii) कुलपति को प्रबंधन बोर्ड द्वारा प्रदत्त सभी अन्य अधिकारों को प्रयोग करने का अधिकार होगा।

ix) कुलपति विनियमों, नियमों तथा उपविधियों द्वारा यथा प्रस्तावित सभी अन्य अधिकारों का प्रयोग कर सकेंगे तथा ऐसे अन्य कार्य कर सकेंगे।

6.4 <u>समकुलपति</u>

(i) समकुलपति का पद प्रबंधन बोर्ड और केन्द्र सरकार के अनुमोदन से सृजित किया जाना चाहिए।

(ii) समकुलपति की नियुक्ति, कुलपति की सिफारिश पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा की जाएगी।

(iii) समकुलपति, कुलपति के कार्यालय के साथ ही कार्य करेंगे तथा कुलपति के निदेशानुसार कार्य करेंगे।

(iv) समकुलपति के अधिकार और कर्तव्य समविश्वविद्यालय संस्था के नियमों के अनुसार होंगे।

6.5 <u>रजिस्ट्रार</u>

(i) रजिस्ट्रार समविश्वविद्यालय संस्था के पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होंगे तथा उनकी नियुक्ति चयन समिति की सिफारिशों पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा की जाएगी, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगेः–

1. कुलपति –अध्यक्ष
2. कुलाधिपति द्वारा एक नामित व्यक्ति
3. प्रबंधन बोर्ड का एक नामित व्यक्ति
4. प्रबंधन बोर्ड द्वारा नियुक्त एक विशेषज्ञ जो समविश्वविद्यालय संस्था का कर्मचारी नहीं हो

(ii) रजिस्ट्रार का पारिश्रमिक, अन्य नियम एवं शर्तें, समविश्वविद्यालय संस्था के नियमों द्वारा यथानिर्धारित होंगी।

(iii) जब रजिस्ट्रार का पद रिक्त पड़ा है या रजिस्ट्रार बीमारी या अन्य कारण से अनुपस्थित है तो रजिस्ट्रार के कर्तव्य और कार्य इस प्रयोजनार्थ कुलपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा किए जायेंगे।

(iv) रजिस्ट्रार प्रबंधन बोर्ड, शैक्षिक परिषद और योजना एवं अनुवीक्षण बोर्ड के पदेन सचिव होंगे पर इनमें से किसी भी प्राधिकरण के सदस्य नहीं माने जायेंगे।

(v) रजिस्ट्रार सीधे कुलपति के लिए उत्तरदायी होंगे तथा उसके निर्देशाधीन कार्य करेंगे।

(vi) रजिस्ट्रार के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे:–

1. समविश्वविद्यालय संस्था के रिकार्ड और निधियों तथा ऐसी अन्य संपत्ति के परिरक्षक होंगे जिसका अधिकार प्रबंधन बोर्ड ने उन्हें सौंपा है;

2. समविश्वविद्यालय संस्था के प्राधिकरण की ओर से सरकारी पत्राचार करना;

3. समविश्वविद्यालय संस्था के प्राधिकरणों तथा इन प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त सभी समितियों और उपसमितियों की बैठकें आयोजित करने हेतु नोटिस जारी करना;

4. समविश्वविद्यालय संस्था के सभी प्राधिकरणों तथा इनमें से किसी भी प्राधिकरण द्वारा नियुक्त सभी समितियों और उप समितियों की बैठकों के कार्यवृत्त का अनुरक्षण करना;

5. समविश्वविद्यालय संस्था द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए प्रबंध करना और उनका निरीक्षण;

6. समविश्वविद्यालय संस्था द्वारा या उसके विरूद्ध मुकद्मे में समविश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना तथा मुख्तारनामा हस्ताक्षरित करना और अपना पक्ष रखना तथा इस प्रयोजनार्थ अपना प्रतिनिधि नियुक्त करना;

7. समविश्वविद्यालय संस्था की ओर से करार, दस्तावेज हस्ताक्षरित करना तथा रिकार्ड अधिप्रमाणित करना;

8. समविश्वविद्यालय संस्था के भवन, उद्यान, कार्यालय, कैंटीन, कार और अन्य वाहन, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, पठनकक्षों,

उपकरणों एवं अन्य संपत्ति के अनुरक्षण और सुरक्षा के लिए प्रबंध करना;

9. नियमों अनुसार या प्रबंधन बोर्ड या कुलपति द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट सभी अन्य कार्य करना।

6.6 वित्त अधिकारी

(i) वित्त अधिकारी समविश्वविद्यालय संस्था का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा तथा इसकी नियुक्ति प्रबंधन बोर्ड द्वारा की जाएगी।

(ii) वित्त अधिकारी का पारिश्रमिक एवं अन्य नियम एवं सेवा शर्तें, समविश्वविद्यालय संस्था के नियमों द्वारा यथा प्रस्तावित अनुसार होंगी।

(iii) वित्त अधिकारी कुलपति के निर्देशाधीन कार्य करेगा तथा कुलपति के माध्यम से प्रबंधन बोर्ड के लिए उत्तरदायी होगा।

(iv) वह, वित्त समिति और प्रबंधन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए वार्षिक बजट, अनुमानों एवं लेखा विवरण तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(v) वह प्रबंधन बोर्ड के नियंत्रणाधीन समविश्वविद्यालय संस्था की निधियों और निवेशों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगा।

6.7 परीक्षा संचालक

(i) परीक्षा संचालक की नियुक्ति प्रबंधन बोर्ड द्वारा की जाएगी।

(ii) परीक्षा संचालक का पारिश्रमिक एवं अन्य सेवा नियम व शर्तें समविश्वविद्यालय संस्था के नियमों द्वारा यथानिर्धारित होंगी।

(iii) परीक्षा संचालक यह सुनिश्चित करेगा कि परीक्षा और मूल्यांकन के संबंध में प्रबंधन बोर्ड, शैक्षिक परिषद तथा कुलपति के सभी विनिर्दिष्ट निर्देशों का अनुपालन किया जाए।

(iv) परीक्षा संचालक प्रबंधन बोर्ड के स्थायी आमंत्रिति होंगे।

6.8 डीन

संबद्ध विषयों वाले विभागों को संकायों में समूहबद्ध किया जा सकता है। प्रत्येक संकाय के अध्यक्ष डीन होंगे।

6.9 विभागाध्यक्ष

(i) समविश्वविद्यालय संस्था में प्रत्येक विभाग का एक विभागाध्यक्ष होगा जिसकी नियुक्ति विभाग के प्रोफेसरों में से कुलपति द्वारा की जाएगी।

यदि विभाग में कोई प्रोफेसर नहीं है या विभाग में केवल एक प्रोफेसर है जिसकी विभागाध्यक्ष के रूप में अवधि समाप्त हो रही है तो कुलपति एसोसिएट प्रोफेसर को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकते हैं।

(ii) विभागाध्यक्ष की अवधि सामान्यतः 3 वर्षों की होगी तथा वह एक और अवधि हेतु पुनर्नियुक्ति के पात्र होंगे परंतु लगातार दो अवधियों के लिए नहीं।

(iii) विभागाध्यक्ष के अधिकार और कार्य समविश्वविद्यालय संस्था के नियमों द्वारा यथानिर्धारित अनुसार होंगे।

7.0 अधिकारों का प्रत्यायोजन

इन विनियमों एवं विनियमों के प्रावधानों के अनुसार समविश्वविद्यालय संस्था को कोई भी प्राधिकारी या अधिकारी प्रबंधन बोर्ड के अनुमोदन से

अपने अधिकार किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी या उनके नियंत्रणाधीन व्यक्ति को इन शर्तों पर प्रदान कर सकता है कि प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करने का संपूर्ण उत्तरदायित्व उस प्राधिकारी या अधिकारी के समक्ष रहेगा जो इन्हें प्रदान कर रहा है।

8.0 वरिष्ठता सूची

(क) जब कभी इन नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति कोई कार्यभार संभालता है या वरिष्ठता के चकाकमानुसार समविश्वविद्यालय संस्था के प्राधिकरण का सदस्य बनता है तो इस प्रकार की वरिष्ठता, प्रबंधन बोर्ड द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित ऐसे अन्य सिद्धांतों अनुसार समविश्वविद्यालय संस्था के ग्रेड में ऐसे व्यक्ति की लगातार सेवा अवधि के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

(ख) ऐसे व्यक्तियों जिन पर इन नियमों के प्रावधान लागू होते हैं, के प्रत्येक वर्ग/काडर के संबंध में पूर्ववर्ती खंड के प्रावधानों अनुसार पूर्ण और अद्यतन वरिष्ठता सूची तैयार करना रजिस्ट्रार का कर्तव्य होगा।

(ग) यदि दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक विशेष ग्रेड/काडर में लगातार सेवा की समान अवधि है या किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों की प्रासंगिक वरिष्ठता पर संदेह है तो रजिस्ट्रार अपनी इच्छा से या ऐसे किसी व्यक्ति के अनुरोध पर मामला बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है जिसका निर्णय अंतिम और मान्य होगा।

9.0 सदस्यता के लिए विवाद

यदि ऐसा कोई भी विवाद उठता है कि क्या कोई भी व्यक्ति समविश्वविद्यालय संस्था के किसी प्राधिकरण या किसी समिति के सदस्य के रूप में यथावत नामित या नियुक्त किया गया है या सदस्य के लिए पात्र हैं तो मामला कुलाधिपति को भेज दिया जाएगा जिसका निर्णय अंतिम और मान्य होगा।

10.0 शिकायत सुधार तंत्र

व्यक्तिगत शिकायतों के लिए प्रत्येक समविश्वविद्यालय संस्था में नियमों अनुसार यथानिर्धारित शिकायत सुधार तंत्र होगा।

11.0 त्यागपत्र

किसी भी प्राधिकरण के पदेन सदस्य के अतिरिक्त अन्य कोई सदस्य रजिस्ट्रार को संबोधित अपने पत्र द्वारा त्यागपत्र दे सकता है तथा त्यागपत्र उस तिथि से प्रभावी होगा जिस तिथि से कुलाधिपति अथवा प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा यह स्वीकार किया जाता है।

12.0 बैठकों के कार्यवाहक अध्यक्ष

यदि अध्ययन हेतु ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा गया है कि वह समविश्वविद्यालय संस्था के किसी प्राधिकरण या इस प्रकार के प्राधिकरण की किसी समिति की बैठक की अध्यक्षता करे अथवा इस प्रावधान के बावजूद अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपस्थित सदस्य बैठक की अध्यक्षता हेतु अपने में से किसी एक का चयन कर सकते हैं।

13.0 कुछ कार्रवाईयों, निर्णयों की वैधता

समविश्वविद्यालय संस्था के किसी भी प्राधिकरण या किसी भी व्यक्ति या किसी भी समिति की कोई भी कार्रवाई या कार्यवाही किसी भी रिक्ति के कारण अमान्य नहीं होगी।

14.0 अयोग्य

(क) ऐसा कोई भी सदस्य, समविश्वविद्यालय संस्था के किसी भी प्राधिकरण के सदस्य के रूप में चयन हेतु और या सदस्य, अयोग्य होगा यदिः

i) यदि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है

ii) यदि वह अभारमुक्त दिवालिया है

iii) यदि उसे नैतिक रूप से भ्रष्टाचार के अपराध में व्यायालय द्वारा सजा दी गई है।

(ख) यदि यह विवाद उठता है कि व्यक्ति उपरोल्लिखित अयोग्यताओं के अंतर्गत आता है तो इस विवाद को कुलाधिपति के निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

15.0 आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना

विश्वविद्यालय संस्था के किसी प्राधिकरण अथवा किसी समिति के सदस्यों (पदेन सदस्यों को छोड़कर) के बीच होने वाली आकस्मिक रिक्तियों को सुविधा के अनुसार ऐसे प्राधिकरण अथवा व्यक्ति द्वारा भरा जाएगा जिसने उस सदस्य को नियुक्त अथवा सहयोजित किया था जिसका स्थान रिक्त हुआ है और एक आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त अथवा सहयोजित व्यक्ति उस शेष कार्यकाल के लिए उस प्राधिकरण अथवा समिति का सदस्य होगा जिसके लिए वह व्यक्ति सदस्य होता जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति हुई है।

16.0 समविश्वविद्यालय संस्था के शैक्षिक कार्यकलापों की समीक्षा

समविश्वविद्यालय संस्था के कार्यकरण की समीक्षा आयोग द्वारा नियुक्त समिति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में या, यदि आवश्यक हो, इससे पहले की जाएगी।

17.0 आयोग द्वारा समविश्वविद्यालय संस्था का निरीक्षण

i) आयोग, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जिन्हें वह निदेश देता है, समविश्वविद्यालय संस्था इसके भवन, उपस्कर, प्रयोगशालाओं तथा उपकरण तथा परीक्षाओं, अध्यापन और किए गए अन्य कार्य का निरीक्षण करा सकता है तथा यदि आवश्यक हो तो समविश्वविद्यालय संस्था के प्रशासन या वित्त से संबंधित किसी भी मामले के संबंध में जांच करा सकता है।

ii) आयोग प्रत्येक मामले में समविश्वविद्यालय संस्था को किए जाने वाले निरीक्षण या जांच के लिए नोटिस देगा तथा नोटिस प्राप्त होने पर समविश्वविद्यालय संस्थाओं को, जैसा आवश्यक समझे, आयोग को अभ्यावेदन देने का अधिकार होगा।

iii) जहां कहीं भी आयोग द्वारा निरीक्षण या जांच की जानी है वहां समविश्वविद्यालय संस्था अपना प्रतिनिधि नियुक्त करने की पात्र होगी जिसे इस प्रकार के निरीक्षण या जांच में उपस्थित रहने तथा सुनवाई का अधिकार होगा।

iv) आयोग, समविश्वविद्यालय संस्था द्वारा की जाने वाली कार्रवाई पर अपने परामर्श के साथ इस प्रकार के निरीक्षण या जांच के परिणाम से कुलपति को अवगत करा सकता है, जो इसे प्रबंधन बोर्ड को प्रस्तुत कर देंगे।

v) प्रबंधन बोर्ड, निरीक्षण या जांच के संबंध में तथा समविश्वविद्यालय संस्था द्वारा की जाने वाली कार्रवाई हेतु प्रस्तावों पर उपयुक्त रूप से विचार करेगा तथा यदि कोई कार्रवाई करने का प्रस्ताव या इस प्रकार के निरीक्षण या जांच पर कोई कार्रवाई की गई है तो उसके बारे में आयोग को सूचित करेगा।

vi) यदि प्रबंधन बोर्ड उचित समय में आयोग की संतुष्टि अनुसार कोई कार्रवाई नहीं करता तो आयोग प्रबंधन बोर्ड द्वारा दिए गए अभ्यावेदन या प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विचार करके यथोचित निर्देश जारी कर सकता है तथा प्रबंधन बोर्ड ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा।

18.0 <u>समविश्वविद्यालय संस्था की आय और संपत्ति का केवल इसके प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाना चाहिए</u>

समविश्वविद्यालय संस्था की आय और संपत्ति का प्रयोग पूर्णतः समविश्वविद्यालय संस्था के लक्ष्यों को प्रोन्नत करने के लिए किया जाना चाहिए।

19.0 लाभ के रूप में समविश्वविद्यालय संस्था की आय और संपत्ति के भुगतान या हस्तांतरण पर रोक

समविश्वविद्यालय संस्था की आय या संपत्ति का कोई भाग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में, डिविडेंड, बोनस या लाभ के रूप में अन्य किसी प्रकार से उन व्यक्तियों को जो किसी भी समय समविश्वविद्यालय संस्था के सदस्य थे/या हैं, उनमें से किसी भी व्यक्ति को या उनके माध्यम से दावा किए जाने वाले व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा बशर्ते कि इनमें दिए गए कोई भी कारण उसके किसी भी सदस्य या ऐसे व्यक्ति के द्वारा समविश्वविद्यालय संस्था के लिए की गई कोई भी सेवा या यात्रा हेतु या अन्य भत्तों तथा अन्य प्रभारों के भुगतान को रोक नहीं सकते।

20.0 निधियां, लेखे, लेखापरीक्षा एवं वार्षिक रिपोर्ट

i) समविश्वविद्यालय संस्था के लेखे, समविश्वविद्यालय संस्था के नाम से अनुरक्षित किए जायेंगे न कि उस प्रायोजक सोसायटी या न्यास के नाम में। संस्था के लेखे प्रबंधन बोर्ड द्वारा यथानिर्धारित अनुसार रखे जायेंगे तथा आयोग द्वारा निर्धारित नियमों के अनुरूप होंगे। संस्था के लेखे आयोग द्वारा जांच के लिए खुले रहेंगे।

ii) वार्षिक वित्तीय विवरण और लेखों की समविश्वविद्यालय संस्था के सनदी लेखाकार द्वारा लेखापरीक्षा की जाएगी।

iii) समविश्वविद्यालय संस्था वार्षिक रिपोर्ट और संपरीक्षित रिपोर्ट वित्त वर्ष की समाप्ति के नौ महीने के अंदर आयोग को प्रस्तुत करेगी।

21.0 समविश्वविद्यालय संस्था के नियम

आयोग के विनियमों और नियमों के प्रावधानों के अतिरिक्त प्रबंधन बोर्ड के समक्ष अन्य प्रदत्त अधिकारों के अतिरिक्त समविश्वविद्यालय संस्था की ऐसी नियमावली प्रारूपित करने का अधिकार होगा जिनमें निम्नलिखित सभी या किसी एक के लिए प्रावधान होगाः–

(i) अध्यापन विभागों की स्थापना;

(ii) समविश्वविद्यालय संस्था की सभी डिग्रियों, डिप्लोमा और प्रमाणपत्रों हेतु निर्धारित अध्ययन पाठ्यक्रम;

(iii) शैक्षिक पुरस्कार (जैसे डिग्री और डिप्लोमा) और पदक प्रदान करना;

(iv) समविश्वविद्यालय संस्था में छात्रों का दाखिला और उनका नामांकन;

(v) अध्ययन पाठ्यक्रमों हेतु तथा समविश्वविद्यालय संस्था की परीक्षाओं, डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण पत्रों में दाखिले के लिए, लिए जाने वाले शुल्क;

(vi) परीक्षाओं का आयोजन, परीक्षकों की नियुक्ति और उनके परिणामों का अनुमोदन और प्रकाशन;

(vii) फैलोशिप, छात्रवृत्ति, स्टूडेंटशिप, मेडल और पुरस्कार प्रदान करना निर्धारित करना और उनके लिए शर्तें प्रस्तावित करना;

(viii) छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखना;

(ix) कर्मचारियों के बीच अनुशासन बनाए रखना;

(x) आवासीय हॉलों की स्थापना तथा आवास की शर्तें और छात्रों का स्वास्थ्य;

(xi) वर्गीकरण, उपलब्धियां, नियुक्ति की प्रणाली और स्टाफ की सेवा शर्तों और नियमों का निर्धारण;

(xii) शैक्षिक परिषद् के ऐसे सभी अन्य अधिकार कार्य और कर्तव्य जिनका कहीं अन्य उल्लेख नहीं है;

(xiii) आयोजना और अनुवीक्षण बोर्ड का गठन अधिकार और कार्य;

(xiv) अध्ययन बोर्ड के अधिकार और कार्य;

(xv) शिकायत सुधार तंत्र का गठन, अधिकार और कार्य;

(xvi) समविश्वविद्यालय संस्था के ऐसे अन्य अधिकारियों के रूप में व्यक्ति प्रस्तावित करना;

(xvii) कुलपति के ऐसे सभी अन्य अधिकार और कार्य जिनका अन्य कही उल्लेख नहीं;

(xviii) रजिस्ट्रार का पारिश्रमिक, सेवा के नियम एवं शर्तें;

(xix) वित्त अधिकारी का पारिश्रमिक, सेवा के नियम एवं शर्तें;

(xx) अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य स्टाफ के लाभ के लिए पेंशन, भविष्यनिधि, बीमा आदि का गठन;

(xxi) विशेष केन्द्रों की स्थापना;

(xxii)ऐसी अन्य समितियों या निकाय का सृजन, गठन और कार्य जिन्हें समविश्वविद्यालय संस्था के कार्य हेतु आवश्यक समझा जाता है;

(xxiii) बजट अनुमान तैयार करने और प्रस्तुत करने की प्रकिया;

(xxiv) किसी प्राधिकरण या समिति की बैठक आयोजित करने की प्रकिया;

(xxv) किसी भी प्राधिकरण या समिति की बैठक में अनुपालन किए जाने वाले प्रकियाओं का निर्धारण;

(xxvi) समविश्वविद्यालय संस्था के प्राधिकरण के रूप में किसी अन्य निकाय का गठन;

(xxvii) किसी भी प्राधिकारी या अधिकारी को अधिकारों का प्रत्यायोजन;

(xxviii) अन्य सभी मामले इस विनियम या नियम में शामिल किए जाने चाहिए परंतु किसी भी नियम का शैक्षिक परिषद् से चर्चा किए बिना आवास, स्वास्थ्य, अनुशासन, दाखिला, छात्रों का नामांकन, शर्तें, नियुक्ति के माध्यम, परीक्षकों के कर्तव्य, परीक्षाओं या किसी अन्य अध्ययन पाठ्यक्रमों के स्तरों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

22.0 प्रतिपादित खंड

आयोग के विनियम या नियमों के प्रतिपादन के संबंध में विचारों में मतभेद होने पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

23.0 समविश्वविद्यालय संस्था के विघटन पर आय और संपत्ति का समायोजन समविश्वविद्यालय संस्था के विघटन या समाप्त होने पर इसके सभी ऋण और दायित्वों की आपूर्ति करने के पश्चात इसकी कोई भी संपत्ति समविश्वविद्यालय संस्था के किसी सदस्य को दी या वितरित नहीं की जाएगी परंतु उन संबंधित एजेंसियों के साथ जिन्होंने इस संपत्ति के सृजन में सहायता की है, चर्चा करके आयोग या अन्य निकायों को स्थानांतरित की जाएगी।

24.0 विधि प्रक्रियाएं

i) सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 की धारा के प्रयोजनार्थ वह व्यक्ति जिसके नाम समविश्वविद्यालय संस्था का मुकद्मा कर सकती है या किया जाएगा, संस्था का रजिस्ट्रार होगा।

ii) इन नियमों के अनुसरण में की गई कोई भी या की जाने वाली कोई भी कार्रवाई के संबंध में केन्द्र सरकार या आयोग या समविश्वविद्यालय संस्था या समविश्वविद्यालय संस्था के किसी भी अधिकारी या समविश्वविद्यालय संस्था के प्राधिकरण के किसी सदस्य के विरूद्ध कोई मुकद्मा या कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी।

25.0 समविश्वविद्यालय संस्था के कार्यकरण को प्रशासित करने वाले नियमों में आशोधन, संशोधन और संयोजन

समविश्वविद्यालय संस्था के कार्यकरण को प्रशासित करने वाले कोई भी नियम तथा उप नियम में प्रबंध बोर्ड या इस प्रकार के अन्य सक्षम निकाय द्वारा उस सीमा तक कोई आशोधन, संशोधन, संयोजन नहीं किया जा सकता जहां विवाद उत्पन्न हो या इन विनियमों के प्रावधानों के लिए हानिकारक हों; तथा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 या इस समय लागू संगत सार्वजनिक न्यास अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना नियमों और उप नियमों में कोई आशोधन, संशोधन या संयोजन नही किया जाएगा।